रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 20—मई 26, 2017 (वैशाख 30, 1939)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20—MAY 26, 2017 (VAISAKHA 30, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 फरवरी 2017

सं. एनएचबी.एचएफसी.एआर-डीआईआर.1/एमडीएंडसीईओ/2016—राष्ट्रीय आवास बैंक इसे सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि देश में इसके लाभ के लिए, आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ करने के प्रयोजन से, निम्नलिखित निर्देश आवश्यक है और एतद्द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 33 की उप-धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस दिशा में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश विनिर्दिष्ट करता है।

1. निर्देशों का लघु शीर्षक, प्रारंभ एवं प्रयोजनीयता

(i) इन निर्देशों को "आवास वित्त कंपनी - लेखा परीक्षक रिपोर्ट(राष्ट्रीय आवास बैंक) निर्देश, 2016" के नाम से जाना जाएगा।

(ii) जब तक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्देशित न हो, ये निर्देश आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के अनुच्छेद 2(1) (एम) में परिभाषित है, के प्रत्येक लेखा परीक्षक को लागू होंगे।

(iii) ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. लेखा परीक्षक द्वारा निदेशक मंडल को अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करना

आवास वित्त कंपनी की किसी भी दिन को समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अथवा इन निर्देशों के आरंभ होने के पश्चात जांचे गये लेखाओं पर, लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन दी रिपोर्ट के अलावा लेखा परीक्षक, निदेशक मंडल को अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर अलग रिपोर्ट भी देगा।

3. निदेशक मंडल को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले

आवास वित्त कंपनी के लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित विषयों पर विवरण शामिल होंगे, यथा:-

(ए) सभी आवास वित्त कंपनियों के मामले में

I. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुदत्त वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना आवास वित्त गतिविधि संचालित करना राष्ट्रीय बैंक अधिनियम, 1987 के अध्याय VII के अधीन एक अपराध है। इसलिए, अगर कंपनी, जो मुख्य रूप से या जिसके प्रमुख उद्देश्यों में से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर हो, आवास हेतु वित्त प्रदान करने का कारोबार करना है,तो इसके लिए लेखा परीक्षक इसकी जांच करेगा कि क्या कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त किया है।

II. क्या कंपनी, चुकता अधिमान शेयरों जोकि अनिवार्य रूप से साम्य पूंजी में संपरिवर्तनीय है, के सहित, 1987 के राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम की धारा 29ए के अधीन यथा निर्धारित अपेक्षित निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) की अपेक्षा को पूरा कर रही है।

(बी) सार्वजनिक जमा स्वीकार/धारण करने वाली आवास वित्त कंपनियों के मामले में

उपरोक्त (ए) में परिगणित विषयों के अलावा लेखा परीक्षक निम्नलिखित विषयों पर विवरण शामिल करेगा, यथा:-

(i) क्या आवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी का अनुपालन किया है;

(ii) क्या आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक जमा निम्नलिखित उल्लिखित अन्य उधारियों के साथ स्वीकार करती हैं यथा
   (ए) जनता से अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बंध पत्रों के निर्गम द्वारा;
   (बी) अपने शेयरधारकों से (यदि वह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है); एवं
   (सी) जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 में 'सार्वजनिक जमा' की परिभाषा से बाहर नहीं हैं
   आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के उपबंधों के अनुसार कंपनी के लिए स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं;

(iii) क्या आवास वित्त कंपनी द्वारा, आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के उपबंधों के अधीन ऐसी अनुमत जमाराशियों की मात्रा से अधिक, धारित सार्वजनिक जमा को उक्त निदेशों में प्रदत्त तरीके में विनियमित किया है;

(iv) क्या आवास वित्त कंपनी किसी अनुमोदित ऋण रेटिंग एजेंसी से न्यूनतम निवेश ग्रेड ऋण रेटिंग के बिना 'सार्वजनिक जमा' स्वीकार/धारण कर रही हैं;

(v) उपरोक्त खंड (iv) में संदर्भित आवास वित्त कंपनी के संदर्भ में,
   (ए) क्या प्रत्येक सावधि जमा योजनाओं की ऋण रेटिंग जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 में उल्लखित ऋण रेटिंग एजेंसियों में से एक द्वारा निर्दिष्ट की गयी है, प्रवृत्त है; एवं
   (बी) क्या वर्ष में किसी भी समय पर बकाया जमा की कुल राशि ऐसी ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है;

(vi) क्या आवास वित्त कंपनी ने जमा राशियों के ब्याज एवं/अथवा मूलधन की राशि अपने निदेशकों के प्रति ऐसा ब्याज एवं/अथवा मूलधन देय हो जाने पर भुगतान करने में चूक की है;

(vii) क्या आवास वित्त कंपनी की कुल उधारियां आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के अनुच्छेद 3(2) के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर हैं;

(viii) क्या आवास वित्त कंपनी ने आय अभिज्ञान मान्यता, लेखांकन मानक, आस्ति वर्गीकरण, मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात, प्रावधानीकरण अपेक्षाएं, तुलन पत्र में प्रकटीकरण, भू संपदा में निवेश, पूंजीबाजार में निवेश एवं दलालों की नियुक्ति, एवं ऋण निवेशों का संकेन्द्रण जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 में विनिर्दिष्ट हैं, का अनुपालन किया है;

(ix) क्या पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत अनुसूची-II विवरणी में प्रकटीकरण किया गया है, सही रूप में अवधारित है एवं क्या ऐसा अनुपात उसमें विहित जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के प्रति न्यूनतम पूंजी के अनुपालन में है;

(x) क्या आवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक को निर्धारित अवधि के भीतर अनुसूची-II विवरणी प्रस्तुत की है जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 में विनिर्दिष्ट है;

(xi) क्या आवास वित्त कंपनी ने तरल संपत्ति अपेक्षा का अनुपालन किया है जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29बी एवं आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के अनुच्छेद 14 एवं 15 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए विहित किया है;

(xii) क्या आवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक को निर्धारित अवधि के भीतर सांविधिक तरल परिसंपत्तियों पर अनुसूची-III विवरणी प्रस्तुत की है जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 में विनिर्दिष्ट है;

(xiii) क्या, नई शाखाओं/कार्यालयों को खोलने के मामले में अथवा मौजूदा शाखाओं/कार्यालयों को बंद करने के मामले में आवास वित्त कंपनी ने आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 में निहित अपेक्षाओं का पालन किया है;

(xiv) क्या आवास वित्त कंपनी ने आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के अनुच्छेद 38 एवं 38 ए में अंतर्विष्ट उपबंधों का पालन किया है;

(xv) क्या आवास वित्त कंपनी ने सार्वजनिक जमा की स्वीकृति, सार्वजनिक जमा की अवधि, संयुक्त सार्वजनिक जमा, सार्वजनिक जमा आमंत्रित करने वाले आवेदन पत्र में उल्लिखित किए जाने वाले ब्योरे, ब्याज दर तथा दलाली और अतिदेय सार्वजनिक निक्षेपों की अधिकतम सीमा, परिपक्वता से पूर्व सार्वजनिक जमाओं का नवीकरण, पर प्रतिबंध के तहत निहित प्रावधान जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 में उपबंधित हैं का उल्लंघन किया है।

(सी) सार्वजनिक जमा स्वीकार/धारण न करने वाली आवास वित्त कंपनियों के मामले में

उपरोक्त (ए) में परिगणित विषयों के अलावा लेखा परीक्षक निम्नलिखित विषयों पर विवरण शामिल करेगा, यथा:-

(i) क्या आवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी का अनुपालन किया है;

(ii) क्या आवास वित्त कंपनी के निदेशक मंडल ने सार्वजनिक जमा स्वीकार न करने के बारे में कोई प्रस्ताव पारित किया है;

(iii) क्या आवास वित्त कंपनी ने विचाराधीन अवधि/वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार किया हैं;

(iv) क्या आवास वित्त कंपनी की कुल उधारियां आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के अनुच्छेद 3(2) के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर हैं;

(v) क्या आवास वित्त कंपनी ने आय अभिज्ञान मान्यता, लेखांकन मानक, आस्ति वर्गीकरण, मूल्य की तुलना में ऋण अनुपात, प्रावधानीकरण अपेक्षाएं, तुलन पत्र में प्रकटीकरण, भू संपदा में निवेश, पूंजीबाजार में निवेश एवं दलालों की नियुक्ति, एवं ऋण/निवेशों का संकेन्द्रण जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 में विनिर्दिष्ट हैं, का अनुपालन किया है;

(vi) क्या पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत अनुसूची-II विवरणी में प्रकटीकरण किया गया है, सही रूप में अवधारित है एवं क्या ऐसा अनुपात उसमें विहित जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के प्रति न्यूनतम पूंजी के अनुपालन में है;

(vii) क्या आवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक को निर्धारित अवधि के भीतर अनुसूची-II विवरणी प्रस्तुत की है जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 में विनिर्दिष्ट है;

(viii) क्या आवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक को निर्धारित अवधि के भीतर सांविधिक तरल परिसंपत्तियों पर अनुसूची-III विवरणी प्रस्तुत की है जो आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 में विनिर्दिष्ट है;

(ix) क्या, नई शाखाओं/कार्यालयों को खोलने के मामले में अथवा मौजूदा शाखाओं/कार्यालयों को बंद करने के मामले में आवास वित्त कंपनी ने आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 में निहित अपेक्षाओं का पालन किया है;

(x) क्या आवास वित्त कंपनी ने आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के अनुच्छेद 38 एवं 38 ए में अंतर्विष्ट उपबंधों का पालन किया है।

4. प्रतिकूल अथवा अर्हताप्राप्त विवरणों के लिए वर्णित किए जाने वाले कारण

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जहां उपरोक्त अनुच्छेद 3 में संदर्भित कोई मदों के बारे में विवरण प्रतिकूल अथवा अर्हताप्राप्त है तो लेखा परीक्षक रिपोर्ट में यथास्थिति ऐसे प्रतिकूल अथवा अर्हताप्राप्त विवरण के कारणों का भी वर्णन होगा। जहां लेखा परीक्षक उपरोक्त अनुच्छेद 3 में संदर्भित कोई मदों पर कोई अभिमत अभिव्यक्त करने में असमर्थ है तो वह अपनी रिपोर्ट में तत्संबंधी कारणों के साथ ऐसे तथ्य स्पष्ट करेगा।

5. लेखा परीक्षक का राष्ट्रीय आवास बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बाध्यता

(I) आवास वित्त कंपनी के मामले में, जहां उपरोक्त अनुच्छेद 3 में संदर्भित कोई मदों के बारे में विवरण प्रतिकूल अथवा अर्हताप्राप्त है, अथवा कंपनी के लेखा परीक्षक के अभिमत में निम्नलिखित का पालन नहीं किया गया है:

(ए) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के अध्याय V के उपबंध; अथवा

(बी) आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010; अथवा

(सी) आवास वित्त कंपनियों द्वारा निजी नियोजन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निगर्मन हेतु (एनएचबी) निर्देश, 2014

यह लेखा परीक्षाक का दायित्व होगा कि वह आवास वित्त कंपनी के संबंध में विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली को यथास्थिति ऐसे प्रतिकूल अथवा अर्हताप्राप्त विवरण एवं/अथवा गैर अनुपालन के बारे में ब्यौरा अंतर्विष्ट करते हुए रिपोर्ट दे।

(II) उप-अनुच्छेद (I) के अधीन लेखा परीक्षक का कर्तव्य, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के उपबंधों, निर्देशों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों जो उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित है, के उल्लंघन को ही प्रस्तुत करने का होगा एवं ऐसी रिपोर्ट में उन किसी उपबंधों के अनुपालन के संबंध में कोई विवरण अंतर्विष्ट नहीं हेागा।

6. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

इन निर्देशों के प्रावधान किसी अन्य कानून, नियमों, विनियमों या निर्देशों, जो उस समय लागू हों, के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके विरुद्ध होंगे।

7. छूट

राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि किसी कठिनाई को दूर करने या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण के लिए वह यह आवश्यक समझता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यथा अधिरोपित ऐसी शर्तों के अध्यधीन या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इन निर्देशों के सभी या किन्हीं प्रावधानों का अनुपालन करने या उससे छूट देने के लिए किसी आवास वित्त कंपनी/कंपनियों के वर्ग के लेखा परीक्षक को समयावधि बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है।

8. स्पष्टीकरण

इन निर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि आवश्यक समझे, इसके अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान की नई व्याख्या अंतिम होगी और सभी पक्षों पर बाध्य होगी।

9. निरस्त और बचाव

आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010 के अध्याय IV के उपबंध इन निदेशों से निरसित हो जाएंगे।

ऐसे निरस्त के बावजूद,

(ए) ऐसी कोई कार्रवाई जिसे, निरस्त निर्देशों के तहत शुरू किया गया हो अथवा प्रारम्भ किया गया हो, वह उक्त निर्देशों के प्रावधानों के द्वारा ही शासित होगी।

बी) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी अन्य अधिसूचनाओं का कोई भी उद्धरण जिसमें उपरोक्त निरस्त निर्देशों का कोई संदर्भ समाविष्ट हो, का तात्पर्य निरस्त की तिथि के पश्चात इन निर्देशों के संदर्भ से होगा, अर्थात् आवास वित्त कंपनी - लेखा परीक्षक रिपोर्ट (राष्ट्रीय आवास बैंक) निर्देश, 2016.

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंधन निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक 9 फरवरी 2017

सं. एनएचबी.एचएफसी.एटीसी-डीआईआर.1/एमडीएंडसीईओ/2016—राष्ट्रीय आवास बैंक इसे सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि देश में इसके लाभ के लिए, आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ करने के प्रयोजन से, निम्नलिखित निर्देश आवश्यक है और एतद्द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53)

की धारा 30ए एवं 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस दिशा में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश विनिर्दिष्ट करता है।

1. निर्देशों का लघु शीर्षक, प्रारंभ एवं प्रयोजनीयता

(i) इन निर्देशों को "आवास वित्त कंपनी - अधिग्रहण अथवा नियंत्रण के हस्तांतरण की अनुमति (राष्ट्रीय आवास बैंक) निर्देश, 2016" के नाम से जाना जाएगा।

(ii) जब तक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्देशित न हो, ये निर्देश राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 29ए के तहत पंजीकृत प्रत्येक आवास वित्त कंपनी (आ.वि.कं.) को लागू होंगे।

(iii) ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे अर्थात् वे इस अधिसूचना की तिथि के पश्चात किसी कब्जे अथवा अधिग्रहण अथवा नियंत्रण, शेयरधारिता में हुए किसी परिवर्तन अथवा प्रबंधन के किसी परिवर्तन पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन निर्देशों के उद्देश्य हेतु, जब तक कि संदर्भ के लिए यह आवश्यक न हो, -

"नियंत्रण" का अर्थ वही होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(शेयरों और कब्जों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन, 2011 के विनियमन 2 के उप-विनियमन (1) की धारा (ई) के तहत इसे दिया गया हो।

3. आवास वित्त कंपनियों के अधिग्रहण अथवा नियंत्रण के हस्तांतरण हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता

(i) निम्न के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी -

ए) आ.वि.कं. का ऐसा कोई भी कब्जा अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण जिससे प्रबंधन में परिवर्तन होता हो या न होता हो;

बी) आ.वि.कं. की शेयरधारिता में समय के साथ प्रगतिशील वृद्धि समेत ऐसा कोई परिवर्तन जिससे 26 प्रतिशत की शेयरधारिता अथवा आ.वि.कं. की अधिक प्रदत्त शेयर पूंजी का अधिग्रहण/हस्तांतरण हो।

बशर्ते कि, पूर्व अनुमति की आवश्यकता वहां नहीं होगी जहां शेयरों की वापसी-खरीद/पूंजी में कटौती के कारण कोई शेयरधारिता 26% से ऊपर जा रही हो और उसे समर्थ न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त हो। हालांकि, इस बारे में राष्ट्रीय आवास बैंक को ऐसा होने के तिथि के एक माह होने से पहले सूचित करना होगा।

सी) स्वतंत्र निदेशको को छोड़कर आ.वि.कं. के प्रबंधन में ऐसा कोई परिवर्तन जिससे 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों की तबदीली हो।

बशर्ते कि, जहां ऐसे निदेशक जिन्हें रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद फिर चुना गया हो वहां पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ii) धारा (i) के बावजूद, आ.वि.कं. आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2010 में यथा अपेक्षित अपने निदेशकों/प्रबंधन के किसी बदलाव के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करती रहेंगी।

4. पूर्व अनुमति हेतु आवेदन

(i) आ.वि.कं. अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए कंपनी के पत्र-शीर्ष (लेटर हेड) पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ में एक आवेदन प्रस्तुत करेंगी:

ए) अनुलग्नक–I के अनुसार, प्रस्तावित निदेशकों शेयरधारकों के विषय में सूचना;

बी) आ.वि.कं. में शेयरों को प्राप्त करने वाले प्रस्तावित शेयरधारकों का निधि स्रोत;

सी) प्रस्तावित निदेशकों/शेयरधारकों द्वारा इसकी घोषणा कि वे ऐसे किसी भी अनिगमित निकाय से जुड़े हुये नहीं है जो सार्वजनिक जमा को स्वीकार कर रही है;

डी) प्रस्तावित निदेशकों/शेयरधारकों द्वारा इसकी घोषणा कि वे ऐसी किसी कंपनी से जुड़े हुये नहीं है जिसके पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) हेतु आवेदन को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है;

ई) प्रस्तावित निदेशकों/शेयरधारकों द्वारा इसकी घोषणा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत उनके विरुद्ध किसी अपराध सहित कोई आपराधिक मामले नहीं हैं; और

एफ) प्रस्तावित निदेशकों/शेयरधारकों पर बैंकर की रिपोर्ट।

(ii) इस संबंध में आवेदन महाप्रबंधक, विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली को भेजा जाए।

5. नियंत्रण/प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में पूर्व सार्वजनिक नोटिस की आवश्यकता

(i) स्वामित्व का विक्रय अथवा हस्तांतरण, जो शेयरों के विक्रय, अथवा नियंत्रण के हस्तांतरण, चाहे वो शेयरों के विक्रय के साथ या उसके बगैर हो,के द्वारा प्रभावित करने से पहले कम से कम 30 दिनों की सार्वजनिक सूचना दी जाएगी। इस तरह के सार्वजनिक नोटिस राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही, एचएफसी द्वारा और भी अन्य पक्षों द्वारा या संयुक्त रूप से संबंधित पक्षों द्वारा दी जाएगी।

(ii) इस सार्वजनिक सूचना में स्वामित्व/नियंत्रण को बेचने अथवा हस्तांतरण के इरादे के साथ हस्तांतरिती के विवरण और स्वामित्व/नियंत्रण के ऐसे विक्रय अथवा हस्तांतरण के कारणों को बताया जाएगा। इस सूचना को कम से कम एक प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्र और एक प्रमुख स्थानीय समाचार-पत्र (जिसमें पंजीकृत कार्यालय का स्थान आता हो) में छापा जाएगा।

6. अन्य कानूनों के आवेदन वर्जित नहीं

इन निर्देशों के प्रावधान उस समय प्रचलित किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमनों अथवा निर्देशों के प्रावधानों के अल्पीकरण में न होकर, के अतिरिक्त होगा।

7. सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार करने के लिए वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रखने वाली आ.वि.कं. के अधिग्रहण अथवा नियंत्रण के हस्तांतरण के मामलों में सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार करने की अनुमति

यह स्पष्ट किया जा सकता है कि सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार करने के लिए वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) रखने वाली आ.वि.कं. के अधिग्रहण अथवा नियंत्रण के हस्तांतरण के मामलों में राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार करने की अनुमति देने की समीक्षा का अधिकार सुरक्षित है।

8. निरस्त और बचाव

आवास वित्त कंपनी (रा.आ. बैंक) निर्देश, 2010 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत समाविष्ट प्रावधान इन निर्देशों के द्वारा निरस्त होंगे.

ऐसे निरस्त के बावजूद,

ए) ऐसी कोई कार्रवाई जिसे, निरस्त निर्देशों के तहत शुरू किया गया हो अथवा प्रारम्भ किया गया हो, वह उक्त निर्देशों के प्रावधानों के द्वारा ही शासित होगी।

बी) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी अन्य अधिसूचनाओं का कोई भी उद्धरण जिसमें उपरोक्त निरस्त निर्देशों का कोई संदर्भ समाविष्ट हो, का तात्पर्य निरस्त की तिथि के पश्चात इन निर्देशों के संदर्भ से होगा, अर्थात् आवास वित्त कंपनी - अधिग्रहण अथवा नियंत्रण के हस्तांतरण की अनुमति (राष्ट्रीय आवास बैंक) निर्देश, 2016.

9. छूट

राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि किसी कठिनाई को दूर करने या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण के लिए वह यह आवश्यक समझता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यथा अधिरोपित ऐसी शर्तों के अध्यधीन या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इन निर्देशों के सभी या किन्हीं प्रावधानों का अनुपालन करने या उससे छूट देने के लिए किसी आवास वित्त कंपनी/कंपनियों के वर्ग को समयावधि बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है।

10. स्पष्टीकरण

इन निर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि आवश्यक समझे, इसके अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान की नई व्याख्या अंतिम होगी और सभी पक्षों पर बाध्य होगी।

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अनुलग्नक-I

अनुलग्नक-I(1)

कंपनी के प्रस्तावित प्रवर्तकों/निदेशकों/शेयर धारकों के बारे में जानकारी

क्र.सं.	अपेक्षित विवरण	उत्तर
1	नाम	
2	पदनाम	अध्यक्ष कार्यपालकमुख्य/निदेशक/प्रबंध निदेशक/ कार्यपालक अधिकारी
3	राष्ट्रीयता	
4	आयु (जन्म तिथि के अनुसार होनी चाहिए)	
5	कारोबारी पता	
6	आवासीय पता	
7	ईमेल पता/टेलीफोन नम्बर	
8	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन	
9	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
10	सामाजिक सुरक्षा सं./पास्टपोर्ट नं.*	
11	शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यताएं	
12	रोजगार से संबंधित पेशेवर उपलब्धि	
13	कार्य या पेशा क्षेत्र	
14	कंपनी से संबंधित कोई अन्य जानकारी	
15	उन अन्य कंपनियों के नाम जिसमें व्यक्ति अध्यक्ष/प्रबंधक निदेशक/निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर रहा हो	
16	उल्लिखित निकायों के विनियामकों (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक) के नाम जिसमें व्यक्ति निदेशक के पद पर हो	
17	उन आवास वित्त कंपनियों के नाम, यदि कोई हो, जिसके साथ व्यक्ति प्रवर्तक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या निदेशक के रूप में जुड़ा है, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जमाएं स्वीकार करना निषेध किया गया हो/अभियोग चलाया गया हो?	
18	उन अभियोगों का ब्यौरा, यदि कोई हो, जो व्यक्ति के विरुद्ध और/या किसी भी निकाय के विरुद्ध जिससे वह जुड़ा हो, पर लंबित हो या शुरु किया गया हो या पूर्व में आर्थिक कानूनों और विनियमनों के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया हो	
19	मुकदमा, यदि कोई हो, जहां व्यक्ति या व्यक्ति के संबंधी या कंपनियां जिसके साथ वह जुड़ा था, किसी भी निकाय या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में दोषी रहा हो या चूक किया हो	
20	यदि कोई व्यक्ति व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है, तो लंबित या शुरु किए गए या पूर्व में उनके विरुद्ध परिणामस्वरुप दोष सिद्ध हुआ हो या उन्हें किसी भी समय किसी भी	

	व्यावसायिक कारोबार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया हो, उन अनुशासनात्मक कार्रवाई का ब्यौरा	
21	क्या व्यक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत उल्लिखित किसी अयोग्यता का पात्र बना है	
22	क्या व्यक्ति या कोई भी कंपनी जिसके साथ वह जुड़ा/जुड़ी है, के खिलाफ सरकारी विभाग या एजेंसी के आग्रह पर जांच-पड़ताल किया गया है	
23	क्या व्यक्ति को किसी भी समय सीमा शुल्क(कस्टम)/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा विनिमय/अथवा अन्य राजस्व प्राधिकारों के नियमों/विनियमों/अपेक्षित कानूनों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है? यदि ऐसा है, तो उसका विवरण दें	
24	आवास वित्त कंपनी के कारोबार में अनुभव (वर्ष)	
25	कंपनी में इक्विटी शेयरधारिता	
	(i) शेयरों की सं.	.....
	(ii) अंकित मूल्य	₹.....
	(iii) कंपनी के कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में प्रतिशतता	.....
26	कंपनियों, फर्मों और स्वामित्व प्रतिष्ठानों की संख्या जिसमें व्यक्ति का पर्याप्त स्वार्थ हो	
27	ऊपर 26 में दिए प्रतिष्ठानों के प्रमुख बैंकरों के नाम	
28	विदेशी बैंकरों के नाम*	
29	क्या व्यक्ति जितने जगहों पर निदेशक हैं वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 165 में निर्धारित सीमा से अधिक है	
		हस्ताक्षर:
	तिथि:	नाम:
	स्थान:	पदनाम:
		कंपनी का मुहर:

*विदेशी प्रवर्तकों/निदेशकों/शेयरधारकों हेतु

<u>नोट</u>: (i) प्रत्येक प्रस्तावित प्रवर्तकों/निदेशकों/शेयरधारकों के संबंध में अलग से फॉर्म भरा जाए

अनुलग्नक-I(2)

कॉर्पोरेट प्रवर्तकों के बारे में जानकारी

क्र.सं.	अपेक्षित विवरण	उत्तर
1	नाम	
2	कारोबारी पता	
3	ईमेल पतारटेलीफोन नम्बर/	
4	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन	

5	अनुपालन अधिकारी का नाम और संपर्क ब्यौरा	
6	कार्य क्षेत्र	
7	अपने प्रमुख शेयरधारकों (10% से अधिक) और गतिविधि क्षेत्र का ब्यौरा यदि कारपोरेट हैं	
8	प्रमुख विदेशी बैंकरों के नाम/*	
9	विनियामकों के नाम (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए, राष्ट्रीय आवास बैंक या कोई अन्य विदेशी विनियामक)	
10	विवेक सम्मत मानदंड निर्देशों में यथा परिभाषित समूह की कंपनीयों के नाम/	
11	समूह की उस उन कंपनी के नाम जो आवास वित्त/कंपनियां हैं	
12	समूह की उन कंपनियों के नाम बताएं जिन्हें जमाएं स्वीकार करना निषेध होय आवास बैंक द्वारा राष्ट्री/अभियोग चलाया गया हो?	
13	उन अभियोगों का ब्यौरा, यदि कोई हो, जो कारपोरेट के विरुद्ध और या किसी भी निकाय के विरुद्ध जिससे वह जुड़ा हो, पर लंबित हो या शुरु किया गया हो या पूर्व में आर्थिक कानूनों और विनियमनों के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया हो	
14	मुकदमा, यदि कोई हो, जहां कारपोरेट किसी भी निकाय या बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में पिछले 5 वर्षों में चूक करता रहा है या चूक में है	
15	क्या कारपोरे ,सरकारी विभाग या एजेंसी के आग्रह पर किसी जांच-पड़ताल के अधीन है	
16	क्या कारपोरेट को किसी भी समय सीमा शुल्क (मकस्ट)/उत्पाद शुल्क अथवा/विदेशी मुद्रा विनियम/आयकर/अपेक्षित/ विनियमों/प्राधिकारों के नियमों राजस्व अन्य घन का दोषी पाया गया है कानूनों के उल्लंघन यदि हां, तो उसका विवरण दें	
17	क्या प्रवर्तक कारपोरेट प्रवर्तक, कारपोरेट के प्रमुख/शेयरधारक, यदि कोरपोरेट है, ने कभी भी सीओआर हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक में आवेदन किया है जो अस्वीकृत हो गया हो	
		हस्ताक्षर:
	तिथि:	नाम:
	स्थान:	पदनाम:
		कंपनी का मुहर:

*विदेशी कारपोरेट हेतु

सं. एनएचबी.एचएफसी.सीजी-डीआर.1/एमडीएंडसीईओ/2016—राष्ट्रीय आवास बैंक इसे सार्वजनिक हित में आवश्यक समझते हुए और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि देश में इसके लाभ के लिए, आवास वित्त प्रणाली को विनियमित करने में राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ करने के प्रयोजन से, निम्नलिखित निर्देश आवश्यक है और एतद्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए एवं 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस दिशा में सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश विनिर्दिष्ट करता है।

1. निर्देशों का लघु शीर्षक, प्रारंभ

(i) इन निर्देशों को "आवास वित्त कंपनी - कापोरेट अभिशासन (राष्ट्रीय आवास बैंक) निर्देश, 2016" के तौर पर जाना जाएगा।

(ii) ये निर्देश तत्काल प्रभाव से से लागू होंगे।

2. निर्देशों का विस्तार

अपनी अंतिम लेखा परीक्षित परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, 50 करोड़ एवं उससे अधिक की आस्तियों के आकार के साथ सार्वजनिक जमा न स्वीकार करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) एवं सार्वजनिक जमा स्वीकार/धारण करने वाली सभी आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर लागू होगा, जिसे इसके बाद प्रयोज्य आवास वित्त कंपनियां कहा जाएगा।

3. बोर्ड की समितियों का गठन

I. लेखापरीक्षा समिति

(i) सभी प्रयोज्य एचएफसी को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना होगा जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल से कम तीन से कम सदस्य हो।

स्पष्टीकरण I: आवास वित्त कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत गठित लेखापरीक्षा समिति, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए लेखापरीक्षा समिति होगी ।

स्पष्टीकरण II: इस अनुच्छेद के तहत गठित लेखापरीक्षा समिति के पास भी वही शक्तियां, कार्य और कर्तव्य होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ii) लेखापरीक्षा समिति को यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि एचएफसी द्वारा सामना की जाने वाली प्रचालनात्मक जोखिमों की पहचान करने के लिए दो वर्षों मे कम से कम एक बार आंतरिक प्रणालियों व प्रक्रियाओं की एक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा किया गया है।

II. नामांकन समिति

सभी प्रयोज्य एचएफसी को प्रस्तावित/मौजूदा निदेशकों का "उचित और पर्याप्त" स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नामांकन समिति का गठन करना होगा।

स्पष्टीकरण I: इस अनुच्छेद के तहत गठित नामांकन समिति के पास वही शक्तियां, कार्य और कर्तव्य होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में विनिर्दिष्ट है।

III. जोखिम प्रबंधन समिति

एकीकृत जोखिम का प्रबंधन करने के लिए सभी प्रयोज्य एचएफसी को आस्ति देयता प्रबंधन समिति के अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करना होगा।

4. उचित और पर्याप्त मापदंड

सभी प्रयोज्य एचएफसी को

I. यह सुनिश्चित करना होगा कि निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ,निदेशकों के नियुक्ति के समय और निरंतर आधार पर उनके उचित और पर्याप्त मापदंडों का पता लगाने के लिए, एक नीति बनाई गई है।उचित और पर्याप्त मापदंड नीति के संबंध में दिशानिर्देश अनुलग्नक1- में विनिर्दिष्ट किया गया है;

II. निदेशको से संबंधित अतिरिक्त सूचना के लिए निदेशकों से घोषणा पत्र तथा वचन पत्र लिया जाए। यह घोषणा पत्र तथा वचन पत्र अनुलग्नक-2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार होगा;

III. निदेशकों से हस्ताक्षरित प्रतीज्ञापत्र दस्तावेज प्राप्त किया जाए जो अनुलग्नक-3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार हो;

IV. निदेशकों के परिवर्तन के संबंध में तिमाही रिपोर्ट तथा निदेशकों के चयन में उचित और पर्याप्त मापदंड का अनुपालन किया गया है इस आशय का प्रमाण पत्र एचएफसी के प्रबंध निदेश से राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक समाप्त तिमाही के 15 दिनों के अंदर विवरणियां राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली को प्राप्त हो जानी चाहिए। एचएफसी द्वारा 31 मार्च को समाप्त तिमाही से संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

बशर्ते कि राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि यह जन साधारण के हित में और पर्याप्त हो तो, किसी भी आवास वित्त कंपनी का उसकी आस्ति आकार को ध्यान में रखे बिना, ऐसी आवास वित्त कंपनी के निदेशकों का उचित और पर्याप्त मापदंड मानदंड की जांच करने का अधिकार रखता है।

5. प्रकटीकरण एवं पारदर्शिता

I. सभी प्रयोज्य एचएफसी को नियमित अंतराल में, जैसा कि इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, निम्नलिखित को निदेशक मंडल के समक्ष प्रसतुत करना होगा:

(i) एचएफसी द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यनीति के संबंध में और प्रगतिशील जोखिम प्रबंधन प्रणाली तथा जोखिम प्रबंधन नीति को स्थापित करने में हुई प्रगति ;

(ii) कार्पोरेट अभिशासन मानकों के अनुरूप जैसे विभिन्न समितियों का गठन, उनकी भूमिका और कार्य, बैठक की आवधिकता तथा कार्य क्षेत्र व्याप्ति (कवरेज़) का अनुपालन और कार्यों की समीक्षा की पुष्टि आदि।

II. सभी प्रयोज्य एचएफसी को 31 मार्च, 2017 से अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को भी प्रकट करना होगा :

(i) अन्य वित्तीय सेक्टर के विनियामकों से प्राप्त किसी भी नाम का पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकृत ;

(ii) क्रेडिट रेटिंग ऐजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में परिवर्तन ;

(iii) किसी विनियामक द्वारा लगाया गया दंड, यदि कोई हो तो ;

(iv) संयुक्त उपक्रम तथा विदेशी सहायक कंपनियों के संबंध में सूचना अर्थात्, क्षेत्र, संचालन देश और संयुक्त उद्यम सहयोगी, और

(v) आस्ति-देयता प्रोफाइल, एनपीए और एनपीए का परिचालन, सभी तुलन पत्रेतर एक्सपोजर का ब्योरा, भू-संपदा में एक्सपोजर, पूंजी बाजार में एक्सपोजर, शिकायतों का प्रकटीकरण प्रतिभूतिकरण/कार्यभार लेन-देन और अनुबंध-4 में विनिर्दिष्ट अन्य प्रकटीकरण

6. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

इन निर्देशों के प्रावधान किसी अन्य कानून, नियमों, विनियमों या निर्देशों, जो उस समय लागू हों, के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके विरुद्ध होंगे।

7. सांविधिक लेखा परीक्षा फर्म के भागीदारों का आवर्तन

सभी प्रयोज्य एचएफसी लेखा परीक्षा का संचालन करने वाले चार्टर्स एकाउंटेंट फर्म के साझेदार/रों का प्रत्येक तीन वर्षों नियमित आतर्वन करेंगी ताकि वही साझेदार कंपनी का लगातार तीन वर्षों की अवधि से अधिक समय तक लेखा परीक्षा न करे। हालांकि,यदि एचएफसी चाहे तो, आवर्तित साझेदार को तीन वर्ष के अंतराल के बाद एचएफसी का लेखा परीक्षा करने के लिए पात्र हो जायेंगे। एचएफसी लेखा परीक्षकों की फर्म की नियुक्ति पत्र में समुचित निबंधन को समाविष्ट करेंगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

8. आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करना

सभी प्रयोज्य एचएफसी अपने उक्त दिशानिर्देश में अंतर्निहित भावना की अवहेलना का परित्याग किए बिना दिशानिर्देश के दायरे को बढाने के लिए अपने निदेश मंडल के अनुमोदन से कार्पोरेट अभिशासन पर आंतरिक दिशानिर्देश बनाएंगे। बनाये और अपने विभिन्न स्टेकधारकों के सूचनार्थ इसे अपने कंपनी के वेबसाइट, यदि कोई हो तो, में प्रदर्शित करेंगे।

9. छूट

राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि किसी कठिनाई को दूर करने या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण के लिए वह यह आवश्यक समझता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यथा अधिरोपित ऐसी शर्तों के अध्यधीन या तो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इन निर्देशों के सभी या किन्हीं प्रावधानों का अनुपालन करने या उससे छूट देने के लिए किसी आवास वित्त कंपनी/कंपनियों के वर्ग को समयावधि बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है।

10. स्पष्टीकरण

इन निर्देशों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि आवश्यक समझे, इसके अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन निर्देशों के किसी भी प्रावधान की नई व्याख्या अंतिम होगी और सभी पक्षों पर बाध्य होगी।

श्रीराम कल्याणरामन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अनुलग्नक-1

आवास वित्त कंपनियों के निदेशकों के लिए 'उचित और पर्याप्त' मापदंड

किसी वित्तीय संस्थान के लिए योग्यता, तकनीकी विशेषज्ञता, पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड, सत्यनिष्ठा इत्यादि के माध्यम से पद हेतु उपयुक्तता का पता लगाने के लिए निदेशकों के निपुणता के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तावित है कि आवास वित्त कंपिनयों के विषय में भी यथोचित परिवर्तनों के साथ उसी दिशानिर्देश का पालन किया जाय। हालांकि राष्ट्रीय आवास बैंक एचएफसी को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व निदेशकों पर उचित जांच का निष्पादन करता है, अत: यह आवश्यक है कि आवास वित्त कंपनियां सतत आधार पर एक आंतरिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया स्थापित करे। इसके अतिरिक्त, निदेशकों की नियुक्ति के समय उचित जांच की प्रक्रिया को कारगर बनाने एवं एकरूपता लाने के उद्देश्य से आवास वित्त कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नीचे उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और इससे पूर्व कि व्यक्तियों की बोर्डों में नियुक्ति की गई हो उनके द्वारा न्यूनतम मानदंड को पूरा किया गया है :

a) एचएफसी को योग्यता, विशेषज्ञता, पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड, सत्यनिष्ठा एवं अन्य उचित एवं उपयुक्त मानदंड के आधार पर बोर्ड में निदेशक के तौर पर नियुक्ति/नियुक्ति जारी रखने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए उचित जांच की प्रक्रिया करनी चाहिए। एचएफसी को इस प्रयोजनार्थ अनुलग्नक-2 में दिये गये प्रारूप में प्रस्तावित/मौजूदा निदेशकों से आवश्यक सूचना एवं घोषण प्राप्त करनी चाहिए।

b) आवास वित्त कंपनियों को नियुक्ति/नियुक्ति के नवीकरण के समय उचित जांच की प्रक्रिया करनी चाहिए।

c) आवास वित्त कंपनियों के बोर्डों को घोषणाओं की जांच करने के लिए नामांकन समितियों का गठन करना चाहिए।

d) जहां भी आवश्यक माना जाए, हस्ताक्षरित घोषणा में प्रदान की गई सूचना के आधार पर नामांकन समितियों को निदेशकों की स्वीकार्यता अथवा अन्य बातों पर निर्णय लेना चाहिए।

e) आवास वित्त कंपनियों को प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निदेशकों से साधारण घोषणा प्राप्त करना चाहिए कि पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है एवं जहां कोई बदलाव हुआ है तो उनके द्वारा तत्काल अपेक्षित विवरण प्रस्तुत किया गया है।

f) आवास वित्त कंपनियों के बोर्ड को लोक हित में यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि नामित/निर्वाचित निदेशकों ने अनुलग्नक-3 में दिये गये प्रारूप में प्रसंविदा विलेखों का निष्पादन किया है।

———————

अनुलग्नक-2

एचएफसी का नाम: _____

निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचनपत्र)_____ को यथा समुचित अनुलग्नकों के साथ(

I. निदेशक का व्यक्तिगत विवरण
   - क) पूरा नाम
   - ख) जन्म तिथि
   - ग) शैक्षणिक योग्यता
   - घ) प्रासंगिक पृष्ठभूमि एवं अनुभव
   - ङ) स्थायी पता
   - च) वर्तमान पता
   - छ) ई-मेल पता/दूरभाष संख्या
   - ज) निदेशक पहचान संख्या
   - झ) आयकर अधिनियम के तहत स्थायी खातासंख्या एवं आयकर सर्कल का नाम व पता
   - ञ) प्रासंगिक ज्ञान व अनुभव

ट) एचएफसी के निदेशक पद से प्रासंगिक कोई अन्य सूचना

II. निदेशक का सुसंगत संबंध

क) संबंधियों की सूची, यदि कोई हो, जो एचएफसी से जुड़े हों (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 एवं अनुसूची 1क एवं नये कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों का संदर्भ लें)

ख) संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें वह हितबद्ध के तौर पर माना गया हो (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(क) एवं धारा 300 एवं नये कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों का संदर्भ लें)

ग) संस्थाओं की सूची जिसमें वह आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 के अर्थ में पर्याप्त हित धारण करने के तौर पर माना गया है

घ) आवास वित्त कंपनी का नाम जिसमें वह मंडल (अवधि का विवरण देते हुए जिसमें ऐसे कार्यालय में पद धारित था) का सदस्य है/रह चुका/चुकी है।

ङ) वर्तमान में उसके द्वारा अथवा उपरोक्त एचएफसी से II (ख) एवं (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त निधि एवं गैर निधि की सुविधाएं यदि कोई हों

च) यदि कोई ऐसे मामले हों जहां निदेशक अथवा उपरोक्त II (ख) एवं (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा चूक हुई हो या पूर्व में एचएफसी या किसी अन्य एचएफसी से ली गई ऋण सुविधा को चुकाने में चूक हुई हो।

III. पेशेवर उपलब्धियों के रिकार्ड

क) प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धियां

IV. निदेशक के विरूद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो

क) यदि निदेशक व्यावसायिक संघ/संस्था का सदस्य है तो उसके विरूद्ध लंबित अथवा शुरू किया गया अथवा जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया हो या चाहे उसे किसी भी समय पर किसी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया हो तो ऐसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो।

ख) आर्थिक कानूनों एवं विनियमों के उल्लंघन हेतु निदेशक और/या उपरोक्त II (ख) एवं (ग) में सूचीबद्ध किसी संस्थाओं के विरुद्ध लंबित अथवा शुरू किया गया हो अथवा जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया हो ,ऐसे अभियोग का विवरण, यदि कोई हो।

ग) निदेशक के विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में यदि कोई आपराधिक अभियोग लंबित या शुरू किया गया हो अथवा जिसके परिणामस्वरूप दोषी ठहराया गया हो, उसका विवरण

घ) क्या निदेशक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 एवं नये कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत उपबंधों में परिकल्पित अयोग्यता का सामना करना पड़ा है?

ङ) क्या निदेशक और अथवा उपरोक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध किसी संस्था के खिलाफ किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के द्वारा किसी जांच-पड़ताल के लिए बुलाया गया है।

च) क्या निदेशक को किसी समय पर सीमाशुल्क/आबकारी/आयकर/ विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/

कानूनी शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है? यदि हां तो ब्यौरा दें।

छ) क्या निदेशक कभी भी सेबी, आईआरडीए, एमसीए, आरबीआई इत्यादि जैसे नियामकों के प्रतिकूल संज्ञान में आया है?

(हालांकि अभ्यर्थी को नियामकों द्वारा दिये गये आदेशों एवं निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जिसे बाद में पलट/पूर्ण रूप से अलग रख दिया गया है, उसे उक्त का उल्लेख करना आवश्यक होगा यदि पलटना/अलग रखना, बाध्यता अथवा क्षेत्राधिकार का अभाव इत्यादि जैसे तकनीकी कारणों से है ना कि मेरिट के आधार पर। यदि नियामक का आदेश अस्थायी रूप से स्थगित है एवं अपीलीय/न्यायालय की कार्यवाही लंबित है तो उक्त का भी उल्लेख किया जाय।)

V. मद I से मद III के संबंध में कोई अन्य व्याख्या/सूचना एवं कोई अन्य सूचना जो उचित एवं उपयुक्त का निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक समझी जाय।

वचन

मैं पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में सत्य व पूर्ण है। मैं यह वचन देता हूं कि मैं एचएफसी को ऐसी सभी घटनाओं से जितनी जल्दी हो सके अवगत कराउंगा जो मेरे नियुक्ति के तदुपंरात घटते हैं एवं जो उपरोक्त उपलब्ध कराई गई सूचना से प्रासंगिक हैं।

मैं यह भी वचन देता हूं कि एचएफसी के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अपेक्षित प्रसंविदा विलेख का निष्पादन करूंगा।

स्थान: हस्ताक्षर

दिनांक:

VI एचएफसी की नामांकन समिति के अध्यक्ष/निदेशक मंडल की टिप्पणियां

स्थान: हस्ताक्षर

दिनांक:

अनुलग्नक-3

निदेशक से प्रसंविदा विलेख का प्रपत्र

यह प्रसंविदा विलेख एक पक्ष ..... [इसके पश्चात 'आवास वित्त कंपनी' (एचएफसी) अभिहित किया जायेगा] जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है एवं दूसरा पक्ष के/की श्री/श्रीमती ..... (इसके पश्चात 'निदेशक' किया जायेगा) के बीच दो हज़ार ..... के ..... वें दिन को निष्पादित किया गया।

अतएव

क. निदेशक एचएफसी के निदेशक मंडल (इसके पश्चात 'बोर्ड' कहा जाय) में निदेशक के तौर पर नियुक्त हुआ है एवं उसका/उसकी नियुक्ति के निबंधन के तौर पर एचएफसी के साथ प्रसंविदा विलेख संपन्न करना आवश्यक है।

ख. निदेशक यह प्रसंविदा विलेख संपन्न करने पर सहमत है जो उसकी नियुक्ति के निबंधन के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अब एतद्द्वारा सहमत है एवं यह प्रसंविदा विलेख निम्नानुसार साक्षी है :

1. निदेशक स्वीकार करता है कि एचएफसी के मंडल में निदेशक के तौर पर उसकी नियुक्ति एचएफसी के संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम एवं प्रसंविदा विलेख के उपबंध सहित लागू कानूनों व विनियमों के अधीन है।

2. निदेशक एचएफसी से प्रसंविदा करता है कि :

(i) निदेशक, यदि वह एचएफसी एवं किसी अन्य व्यक्ति के बीच संपन्न अथवा संपन्न होने वाले संविदा अथवा व्यवस्था अथवा किसी प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था में कोई रूचि रखता/रखती है अथवा से संबंधित है, उक्त के

बारे में अवगत होने पर अपने हित की प्रकृति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, मंडल के समक्ष अथवा मंडल की बैठक जिसमें ऐसी संविदा अथवा व्यवस्था संपन्न करने के प्रश्न पर विचार किया जाना है, में प्रकटीकरण करेगा/करेगी अथवा यदि निदेशक उस बैठक की तिथि को ऐसे प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था से संबद्ध अथवा में रूचि नहीं रखता है, तो उसके इस तरह संबद्ध अथवा इच्छुक बन जाने के पश्चात हुई मंडल की पहली बैठक एवं कोई अन्य संविदा अथवा व्यवस्था के मामले में निदेशक के संविदा अथवा व्यवस्था में संबद्ध अथवा इच्छुक बन जाने के पश्चात मंडल की पहली बैठक में अपेक्षित प्रकटीकरण करना होगा।

(ii) निदेशक मंडल को सामान्य नोटिस द्वारा उसकी/उसके अन्य निदेशकता, उसकी/उसके कार्पोरेट निकायों की सदस्यताएं, अन्य संस्थाओं में उसकी/उसके रूचि एवं फर्म के साझेदार अथवा मालिक के रूप में उसकी/उसके रूचि का प्रकटीकरण करेगा एवं उसमें होने वाले सभी बदलावों से मंडल को अवगत कराता रहेगा ।

(iii) निदेशक कंपनी अधिनियम 1956 अथवा 2013 में पारिभाषित उसकी/उसके संबंधियों एवं ऐसे संबंधियों की अन्य निकायों, कार्पोरेट, फर्मों एवं अन्य संस्थाओं में निदेशकता और रूचि जिससे निदेशक अभिज्ञ है तो उसकी सूची एचएफसी को प्रदान करेगा।

(iv) निदेशक एचएफसी के निदेशक के तौर पर उसकी/उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए :

क) ऐसे उच्च कोटि के कौशल का उपयोग करना जो उसकी/उसके जानकारी अथवा अनुभव वाले व्यक्ति से अपेक्षित हो ;

ख) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसी सावधानी रखना जो चाहे अपने स्वयं की ओर से एवं सद्भावना से अथवा कंपनी के हित में उसे प्रदत्त किसी भी शक्ति के प्रयोग से अपेक्षित हो ;

ग) एचएफसी के व्यवसाय, क्रियाकलाप एवं वित्तीय स्थितियों के बारे में स्वयं को उस सीमा तक अवगत रखेगा/रखेगी जितना उसे प्रकट किया गया हो ;

घ) उचित नियमानुकूलता के साथ मंडल एवं उसकी समितियों (संक्षिप्तता के लिहाज हेतु इसके पश्चात 'बोर्ड' के तौर पर संदर्भित) की बैठकों में भाग लेगा/लेगी एवं एचएफसी के निदेशक के तौर पर शुद्ध अंत:करण से अपने दायित्व को पूरा करेगा/करेगी ;

ङ) एचएफसी के हित के अतिरिक्त किसी भी विचार के लिए मंडल के किसी भी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा ;

च) मंडल के समक्ष लाये गये आवास वित्त कंपनी को प्रभावित करने वाले मामलों जिसमें सांविधिक अनुपालन, कार्य-निष्पादन समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों व प्रक्रियाओं का अनुपालन, प्रमुख कार्यपालक नियुक्ति एवं आचरण के मानक सहित शामिल है किन्तु सीमित नहीं है, सभी मामलों पर स्वतंत्र निर्णय सामने रखेगा ;

छ) मंडल के समक्ष लाये गये अथवा मंडल द्वारा उसे सौंपे गये मामलों में उसकी/उसके निर्णय, किसी भी व्यवसाय अथवा अन्य रिश्ते जो उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग करने में वास्तव में हस्तक्षेप कर सकते हैं, से मुक्त होगा ; एवं

ज) मंडल की बैठकों में बिना किसी भय अथवा पक्षपात के एवं उसकी/उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग पर बिना किसी प्रभाव के, अपने विचार एवं मत व्यक्त करेगा/करेगी।

(v) निदेशक का :

क) सद्भाव में एवं आवास वित्त कंपनी के हित में काम करने का प्रत्ययी कर्त्तव्य होगा न कि संपार्श्विक प्रयोजनों के लिए:

ख) एचएफसी के संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम के द्वारा एवं प्रयोज्य नियमों एवं विनियमों के द्वारा निर्धारित शक्तियों के भीतर, ही कार्य करने का कर्त्तव्य होगा ; और

ग) एचएफसी के कारोबार की समुचित समझ अर्जित करने का कर्त्तव्य होगा।

(vi) निदेशक :

क) मंडल द्वारा उसे सौंपे गये विषयों के संबंध में उत्तरदायित्वों से विमुख नहीं हो सकेगा ;

ख) एचएफसी के पूर्ण-कालिक निदेशकों एवं अन्य अधिकारीगणों द्वारा उनके कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में हस्तक्षेप नहीं करेगा एवं जहां निदेशक के पास अन्यथा पर विश्वास करने के कारण हों वह मंडल को अपनी चिंताओं का प्रकटीकरण करेगा/करेगी ; एवं

ग) मंडल के सदस्य के तौर पर अपने लिए अथवा किसी और के फायदे अथवा हितलाभ के लिए विगोपित सूचना का अनुचित उपयोग नहीं करेगा एवं एचएफसी के निदेशक के तौर पर उसकी क्षमता में एचएफसी द्वारा उसे विगोपित सूचना का उपयोग केवल निदेशक के तौर पर उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ करेगा/करेगी, न कि कोई अन्य प्रयोजन के लिए :

घ) इस सीमा की घोषणा करता है कि :

(i) वह किसी अनिगमित निकाय से नहीं जुड़ा/जुड़ी है जो जमाएं स्वीकार करती हैं :

(ii) वह ऐसी किसी कंपनी से नहीं जुड़ा/जुड़ी है जिसके पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआ) का आवेदन राष्ट्रीय आवास बैंक ने अस्वीकार किया हो ;

(iii) उसके विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध सहित कोई आपराधिक मामला नहीं है।

3. एचएफसी निदेशक से प्रसंविदा करती है कि:

(i) एचएफसी निम्नलिखित के बारे में निदेशक को अवगत कराएगी:

क) निदेशक के कानूनी एवं अन्य कर्त्तव्यों की पहचान और सांविधिक दायित्वों के अपेक्षित अनुपालन सहित बोर्ड की प्रक्रियाएं;

ख) नियंत्रण प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं;

ग) उन मामलों जिनमें निदेशक को अपने हित के कारण उनमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर भाग नहीं लेना चाहिए सहित मंडल की बैठकों में वोट का अधिकार:

घ) अर्हता की अपेक्षाएं एवं संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम की प्रतियां उपलब्ध कराएगी;

ङ) कार्पोरेट नीतियां एवं प्रक्रियाएं;

च) अंदरूनी संव्यवहार पर प्रतिबंध;

छ) मंडल का गठन, मंडल को प्राधिकारी का प्रत्यायोजन एवं मंडल द्वारा गठित विभिन्न समितियों का विचारार्थ विषय;

ज) वरिष्ठ कायर्पालकों की नियुक्तियां एवं उनके प्राधिकार;

झ) पारिश्रमिक नीति

ञ) मंडल की समितियों की विवेचना;एवं

ट) एचएफसी के संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम, अधिकारों के हस्तांतरण, वरिष्ठ कार्यपालकों इत्यादि सहित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणालियों, लागू विनियमों में किसी बदलाव की संसूचना एवं अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति जो सभी सांविधिक एवं कानूनी अनुपालनों के लिए उत्तरदायी होगा, ।

(ii) एचएफसी निदेशक सहित मंडल को सभी जानकारी जो उनके लिए एचएफसी के निदेशक के तौर पर अपने क्रियाकलापों एवं कर्त्तव्यों को जारी रखने के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है एवं मंडल के समक्ष उनके विचारार्थ लाये गये एवं मंडल अथवा उसकी कोई समिति द्वारा निदेशक को सौंपे गये विषयों के संबंध में सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित है, का प्रकटीकरण करेगी एवं उपलब्ध कराएगी;

(iii) एचएफसी द्वारा निदेशकों को किए जाने वाले प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे लेकिन इसी तक सीमित नहीं होंगे:

क) मंडल के समक्ष लाये गये विषयों के संबंध में सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना;

ख) एचएफसी की रणनीति एवं व्यापार योजना एवं पूर्वनुमान;

ग) एचएफसी का संगठनात्मक ढांचा एवं प्राधिकारी का प्रत्यायोजन;

घ) प्रक्रिया सहित कार्पोरेट एवं प्रबंधन नियंत्रण एवं प्रणालियां;

ङ) आर्थिक विशेषताएं एवं विपणन माहौल;

च) सूचना एवं अद्यतन जो आवास वित्त कंपनी के उत्पादों पर समुचित है;

छ) बड़े व्ययों पर सूचना एवं अद्यतन;

ज) आवास वित्त कंपनी के प्रदर्शन पर आवधिक समीक्षा, एवं

झ) रणनीतिक पहलों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट

(iv) एचएफसी को निदेशकों एवं संबंधित कर्मियों को मंडल के विचार-विमर्शों के परिणाम की संसूचना देनी होगी एवं मंडल की बैठक के समापन के दो कारोबारी दिवसों के भीतर यथासंभव समयबद्ध तरीके से मंडल के बैठकों की कार्यवृत्त तैयार करनी होगी एवं निदेशकों को परिसंचित करनी होगी; एवं

(v) मंडल के समक्ष रखे गये विषयों में हस्तांतरित प्राधिकार के स्तरों के बारे में निदेशक को सूचित करेगी:

4. एचएफसी निदेशक को आंतरिक निंयत्रण प्रणाली के कामकाज एवं उसकी प्रभावशीलता पर आवधिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी।

5. एचएफसी एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगी जो मंडल को रिपोर्ट करने वाला वरिष्ठ कार्यपालक होगा एवं आगे की नीतियां व प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा एवं राष्ट्रीय आवास बैंक एवं अन्य संबंधित सांविधिक व सरकारी प्राधिकारियों के निर्देश सहित लेकिन इसी तक सीमित न होकर, लागू नियमों एवं विनियमों व नीतियों तथा प्रक्रियाओं के पालन की निगरानी करेगा।

6. निदेशक एचएफसी के निदेशक के तौर पर अपना कार्यालय हस्तांतरित नहीं करेगा, उपपट्टे पर-या भारित नहीं करेगा एवं अपने अधिकार व दायित्व किसी तीसरे पक्ष को नहीं सौपेगा बशर्ते कि एचएफसी के संस्था के बर्हिनियम व अंतनिर्यम सहित लागू नियमों व विनियमों के अनुसार मंडल अथवा उसकी कोई समिति द्वारा किसी भी प्राधिकार, अधिकार का हस्तानांतरण, शक्ति, कार्य अथवा प्रत्ययोजन को प्रतिबंधित करने हेतु न समझा जाये ।

7. इस बात से किसी एक पक्ष की ओर से किसी दायित्व अथवा कर्त्तव्य का निर्वहन, पालन, पर्यवेक्षण या अनुपालन करने में विफलता से न तो छूट प्राप्त होगी न ही इसे उस समय या उसके बाद के दिनों में कार्य-निष्पादन, पर्यवेक्षण, पालन या अनुपालन करने के लिए आदर्श के तौर पर कार्य करेगा।

8. इस प्रसंविदा विलेख में कोई एवं सभी संशोधन एवं/या पूरक एवं/या परिवर्तन केवल तभी वैध व क्रियाशील होंगे यदि एचएफसी के निदेशक एवं विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित में एवं हस्ताक्षरित हो।

9. इस प्रसंविदा विलेख दो प्रतियों में निष्पादित की गयी है एवं दोनो प्रतियां मूल समझी जाएंगी।

जिसकी उपस्थिति में पक्षों ने पूर्वोक्त लिखी तिथि, माह एवं वर्ष को यह करार विधिवत निष्पादित किया है।

कृते आवास वित्त कंपनी

.....द्वारा

नाम:

पदनाम:

की उपस्थिति में:

1.....

निदेशक

नाम:

2. .....

अनुलग्नक-4

50 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक की आस्ति आकार वाली एचएफसी एवं सार्वजनिक जमायें लेने वाली/धारण करने वाली एचएफसी के लिए तुलन पत्र प्रकटीकरण की सांकेतिक सूची

1. न्यूनतम प्रकटीकरण

कम से कम, इस अनुलग्नक में सूचीबद्ध मदों का सभी प्रयोज्य एचएफसी द्वारा नोट्स टू अकाउंट्स (एनटीए) में प्रकटीकरण करना चाहिए। सूचीबद्ध प्रकटीकरण का आशय केवल पूरक है और यह यथा लागू अन्य प्रकटीकरण जरूरतों के बदले नहीं है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

एचएफसी को अपने वित्तीय विवरणों में नोट्स टू अकाउंट्स (एनटीए) के साथ एक जगह पर प्रचालनों के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करना चाहिए। सुझावात्मक सूची में लेखांकन का आधार, विदेशी विनिमय से युक्त लेन-देन, निवेश-वर्गीकरण,मूल्यांकन इत्यादि,उस पर अग्रिम राशि एवं प्रावधान, अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास,राजस्व का परिज्ञान, कर्मचारी की लाभप्रदता, कराधान के लिए प्रावधान, शुद्ध लाभ इत्यादि शामिल हैं।

3. प्रकटीकरण:

3.1 पूंजी

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) सीआरएआर (%)		
(ii) सीआरएआर - टियर-I पूंजी (%)		
(iii) सीआरएआर - टियर-IIपूंजी (%)		
(iv) टियर-II पूंजी के रूप में निर्मित गौण ऋण की राशि		
(v) बेमियादी ऋण लिखतों के निर्गम द्वारा निर्मित राशि		

3.2 रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत आरक्षित निधि

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरम्भ में शेष		
क) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि		
ख) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि के उद्देश्य हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के तहत विचारित की गयी विशेष आरक्षित निधि की राशि		
ग) कुल		
वर्ष के दौरान परिवर्धन/विनियोजन/निकासी		
जोड़:		
क) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत अंतरित राशि		
ख) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित के उद्देश्य हेतु आयकर अधिनियम, 1961की धारा 36 (1)(viii) के तहत विचारित की गयी विशेष आरक्षित निधि की राशि		
घटाएं:		
क) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत आरक्षित निधि से विनियोजित राशि		

ख) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत उपबंध के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि की आहरित राशि		
वर्ष के अंत में शेष		
क) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि		
ख) रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29सी के तहत सांविधिक आरक्षित निधि के उद्देश्य हेतु आयकर अधिनियम, 1961की धारा 36 (1)(viii) के तहत विचारित की गयी विशेष आरक्षित निधि की राशि		
ग) कुल		

3.9 निवेश

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य		
क) भारत में		
ख) भारत के बाहर		
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
क) भारत में		
ख) भारत के बाहर		
(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
क) भारत में		
ख) भारत के बाहर		
3.5.1. निवेशों पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का स्थलांतर		
(i) प्रारंभिक शेष		
(ii) जोडे: वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान		
(iii) घटाये: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेख/प्रतिलेखन		
(iv) अंतिम शेष		

3.4. डेरिवेटिव्स

3.4.1. वायदा दर करार (एफआरए)/ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालूवर्ष	पिछला वर्ष
(i) स्वैप समझौतों का काल्पनिक मूलधन		
(ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो होने वाली हानि		
(iii) स्वैप में प्रवेश करने पर एचएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक		
(iv) स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का सकेंद्रण $		

(v) स्वैप बही का उचित मूल्य @		
नोट: स्वैप के अभिलेखन के लिए ऋण व बाजार जोखिम पर सूचना एवं अपनाई गयी लेखांकन नीतियों सहित स्वैपों की प्रकृति एवं शर्तो का भी प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।		
$ सकेंद्रण के उदाहरण, अत्यधिक गियर्ड वाली कंपनियों के साथ स्वैपों अथवा विशेष उद्योगों में निवेश करना हो सकते हैं।		
@ यदि स्वैप विशिष्ट आस्तियों, देनदारियों या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो एचएफसी तुलन पत्र की तिथि को स्वैप समझौतों को समाप्त करने लिए प्राप्त या भुगतान करेगी।		

3.4.2. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (ईआआर) डेरिवेटिव्स

[₹ करोड़ में]

विवरण		राशि
(i)	वर्ष के दौरान किए गये आईआर डेरिवेटिव्स कारोबार के विनिमय की काल्पनिक मूलधन राशि (लिखत-वार)	
	(क)	
	(ख)	
	(ग)	
(ii)	31 मार्च .....को बकाये आईआर डेरिवेटिव्स कारोबार विनिमय की काल्पनिक मूलधन राशि (लिखत-वार)	
	(क)	
	(ख)	
	(ग)	
(iii)	31 मार्च .....को बकाये आईआर डेरिवेटिव्स कारोबार एवं 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं विनिमय की काल्पनिक मूलधन राशि (लिखत-वार)	
	(क)	
	(ख)	
	(ग)	
(iv)	आईआर डेरिवेटिव्स कारोबार का बकाया एवं 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं विनिमय का मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार)	
	(क)	
	(ख)	
	(ग)	

3.4.3. डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण

क. *गुणात्मक प्रकटीकरण*

एचएफसी डेरिवेटिव्स को किस सीमा तक उपयोग किया गया हैं के विशेष संदर्भ के साथ डेरिवेटिव्स, उससे जुड़े जोखिम एवं काम में लाये गये कारोबारी प्रयोजनों के संबंध में अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों की व्याख्या करेंगी। परिचर्चा में ये भी शामिल होंगे:

a) डेरिवेटिव्स व्यापार में जोखिम कें प्रबंधन के लिए ढांचा व संगठन,

b) जोखिम माप, जोखिम सूचना व जोखिम निगरानी प्रणालियो का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति

c) जोखिम के प्रति बचाव-व्यवस्था और/या न्यूनीकरण करने की नीतियां एवं बचाव-व्यवस्था/न्यूनीकरण के निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी हेतु रणनीतियां एवं प्रक्रियाएं, एवं

d) बचाव-व्यवस्था एवं गैर-बचाव-व्यवस्था वाले लेन-देन की रिकॉडिंग; आय अभिज्ञान; प्रीमियम और छूट; बकाया संविदाओं का मूल्यांकन; प्रावधानीकरण; संपार्श्विक एवं ऋण जोखिम न्यूनीकरण के लिए लेखांकन नीति ।

ख. मात्रात्मक प्रकटीकरण

[₹ करोड़ में]

विवरण	मुद्रा डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i) डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूलधन राशि)		
(ii) मार्क्ड टू मार्केट स्तिथि [1]		
(क) आस्तियां (+)		
(ख) देनदारि (-)		
(iii) क्रेडिट एक्सपोजर [2]		
(iv) बचाव-व्यवस्था बिना एक्सपोजर		

3.5 प्रतिभूतिकरण

3.5.1 प्रवर्तक एचएफसी के एनटीए में एचएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बकाया राशि एवं तुलन पत्र की तिथि को न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा (एमआरआर) के प्रति एचएफसी द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि का उल्लेख होना चाहिए। ये आंकड़े एसपीवी के लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित एवं प्रवर्तक एचएफसी द्वारा एसपीवी से प्राप्त सूचना पर आधारित होने चाहिए। ये प्रकटीकरण नीचे दिए गये प्रारूप में किये जाने चाहिए।

[₹ करोड़ में]

विवरण				सं./राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए एचएफसी द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या*			
2.	प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि			
3.	तुलन पत्र की तिथि को एमआरआर के प्रति एचएफसी द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजरों की कुल राशि			
	(I)	क्रेडिट संवर्द्धन के प्रति तुलनपत्रेतर एक्सपोजर		
		क)		
		ख)		
	(II)	क्रेडिट संवर्द्धन के प्रति तुलनपत्र एक्सपोजर		
		क)		
		ख)		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में एक्सपोजर की राशि			
	(I)	क्रेडिट संवर्द्धन के प्रति तुलनपत्रेतर एक्सपोजर		
		क)	स्वयं के प्रतिभूतिकरणों का एक्सपोजर	
			i.)	
			ii.)	
		ख)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर	

			i.)		
			ii.)		
	(II)	क्रेडिट संवर्द्धन के प्रति तुलनपत्र एक्सपोजर			
		क)	स्वयं के प्रतिभूतिकरणों का एक्सपोजर		
			i.)		
			ii.)		
		ख)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण का एक्सपोजर		
			i.)		
			ii.)		
*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेन-देनों से संबंधित एसपीवी की सूचना यहां दें।					

3.5.2. आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों का विवरण

[₹ करोड़ में]

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	खातों की संख्या		
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों से रहित)		
(iii)	सकल प्रतिफल		
(iv)	पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल		
(v)	नेट बुक वैल्यू की तुलना में सकल लाभ/हानि		

3.5.3. एचएफसी द्वारा किए गये समनुदेशित लेन-देनों का विवरण

[₹ करोड़ में]

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	खातों की संख्या		
(ii)	समनुदेशित खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों से रहित)		
(iii)	सकल प्रतिफल		
(iv)	पूर्व के वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल		
(v)	नेट बुक वैल्यू की तुलना में सकल लाभ/हानि		

3.5.4. खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

अन्य एचएफसी से अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद करने वाली एचएफसी को अपने तुलन पत्रों के नोट्स टू अकाउंट्स (एनटीए) में निम्नलिखित प्रकटीकरण करना आवश्यक होगा :

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

[₹ करोड़ में]

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या		
	(ख) सकल बकाया		

2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या		
	(ख) सकल बकाया		

क. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बेचे गये खातों की संख्या		
2. सकल बकाया		
3. सकल प्राप्त प्रतिफल		

3.1 आस्ति देयता प्रबंधन (आस्ति देयताओं के कुछ मदों की परिपक्वता प्रतिमान)

[₹ करोड़ में]

विवरण	30/31 दिनों तक (एक माह	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	10 वर्ष से अधिक	कुल
देयताएं											
जमाएं											
बैंक से उधार											
बाजार से उधार											
विदेशी मुद्रा में देनदारी											
आस्तियां											
अग्रिम											
निवेश											
विदेशी मुद्रा आस्तियां											

3.7. एक्सपोजर

3.7.1. भू-संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर

[₹ करोड़ में]

श्रेणी			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
a)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर			
	(i)	आवासीय बंधक-		
		ऋण पूर्णतया आवासीय संपत्ति पर मॉर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है जो कि उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहीत है अथवा होगी अथवा जो किराये पर है; (15 लाख रूपये तक के वैयक्तिक आवास ऋण अलग से दर्शाये जा सकते हैं)		
	(ii)	वाणिज्यिक भू-संपदा-		
		ऋण वाणिज्यिक भू संपदाओं (कार्यालय भवन, खुदरा स्थल, बहु प्रयोजन वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक		

		परिसर, औद्योगिक अथवा भंडारण की जगह, होटल, भूमि अर्जन, विकास एवं निर्माण इत्यादि) पर मॉर्टगेज द्वारा प्रतिभूत है। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी;		
	(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश-		
		क) आवासीय		
		ख) वाणिज्यिक भू संपदा		
b)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर			
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर			

3.7.2. पूंजी बाजार में एक्सपोजर

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटी उन्मुखी म्यूचूअल निधियों की इकाईयां जिसकी मूल निधि कार्पोरेट कर्ज में विशेष रूप से निवेशित नहीं है, में प्रत्यक्ष निवेश;		
(ii) वैयक्तिकों को शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बंधपत्र, परिवर्तनीय डिबेंचर एवं इक्विटी उन्मुखी म्यूचूअल निधियों की इकाईयों में बेजमानती आधार पर निवेश के लिए अग्रिम		
(iii) कोई अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉन्डों अथवा परिर्वनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुखी म्यूचूअल निधियों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के तौर पर लिया गया हैं;		
(iv) शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉन्डों अथवा परिर्वनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुखी म्यूचूअल निधियों की इकाइयों द्वारा प्रतिभूत सीमा तक कोई अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉन्डों अथवा परिर्वनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुखी म्यूचूअल निधियों की इकाईयां के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति पूर्णतया अग्रिमों कवर नहीं करता है;		
(v) स्टॉकब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम एवं स्टॉकब्रोकरों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटियां;		
(vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में प्रवर्तकों को नई कंपनियों की इक्विटी में अंशदान की पूर्ति करने के लिए कार्पोरेटों		

को शेयर/बंध पत्र/डिबेंचर की प्रतिभूति के प्रति अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा बेजमानती आधार पर संस्वीकृत ऋण;		
(vii) कंपनियों को अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति पूरक ऋण;		
(viii) उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) को सभी एक्सपोजर		
पूंजी बाजारों को कुल एक्सपोजर		

3.7.3. मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण

3.7.4. एचएफसी द्वारा पार किये गए एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) काविवरण

एचएफसी को एक्सपोजर के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरणी के एनटीए में उपयुक्त प्रकटीकरण करना चाहिए जहां एचएफसी ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा को पार किया है। स्वीकृत सीमा या संपूर्ण बकाया, जो भी अधिक हो, की एक्सपोजर सीमा के लिए गणना की जाएगी ।

3.7.5. अप्रतिभूत अग्रिम

क) एचएफसी को उनके द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं (अवसंरचना परियोजना सहित) के संबंध में संपार्श्विक के तौर पर प्रभारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि को अप्रतिभूत अग्रिमों की राशि की अवधारण करने के लिए मूर्त प्रतिभूत के तौर पर गणना करने में नही लिया जाना चाहिए। अत: ऐसे अग्रिम की गणना अप्रतिभूत के तौर पर की जाएगी।

ख) एचएफसी को अग्रिमों की कुल राशि का भी प्रकटीकरण करना चाहिए जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे भारित अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार, इत्यादि को ऐसे अमूर्त संपार्श्विक की अनुमानित मूल्य में शामिल किया गया है । यह प्रकटीकरण एनटीए में अलग शीर्ष के तहत किया जा सकता है। यह ऐसे ऋणों को अन्य पूरी तरह से अप्रतिभूत ऋणों से पृथक करेगा।

4. विविध

4.1. अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण

4.2. एनएचबी एवं अन्य नियामकों द्वारा अधिरोपित जुर्मानों का प्रकटीकरण

नियामकों द्वारा अधिरोपित जुर्मानों के प्रकटीकरण में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पंरपराओं के अनुरूप एचएफसी पर जुर्माने की उदग्रहण का विवरण पब्लिक डोमेन में रखना निवेशकों एवं निक्षेपकों के हित में होगा। इसके अलावा, निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कटु आलोचना अथवा निर्देश अथवा अन्य प्रतिकूल टिप्पणियां भी पब्लिक डोमेन में रखी जानी चाहिए। इन जुर्मानों को भी एनटीए में प्रकट किया जाना चाहिए।

4.3. संबंधित पक्ष के लेन-देन

क) संबंधित पक्षों के साथ सभी महत्वपूर्ण लेन-देनों के विवरण का वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण करना होगा।

ख) कंपनी को अपने वेबसाइट एवं वार्षिक रिपोर्ट में भी संबंधित पक्षों लेन-देनों के साथ संव्यवहार करने वाली नीति का प्रकटीकरण करना होगा।

4.4. ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा अभिहस्तांकित रेटिंग एवं वर्ष के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन

4.5. निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी के अलावा गैर-कार्यकारी निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध अथवा लेन-देन का वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण किया जाएगा।

4.6. प्रबंधन

निदेशक रिपोर्ट के हिस्से के तौर पर अथवा उसमें एक अतिरिक्त के तौर पर, प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट शेयरधारकों के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण में कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर निम्नलिखित विषयों पर परिचर्चा शामिल होनी चाहिए :

क. उद्योग संरचना एवं विकास

ख. अवसर एवं खतरे

ग. खंड-वार अथवा उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

घ. दृष्टिकोण

ड. जोखिम एवं चिंताएं

च. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

छ. प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर परिचर्चा

ज. नियोजित लोगों की संख्या सहित मानवीय संसाधन/औद्योगिक संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रम

4.7. अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि के मदों एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

चूंकि एचएफसी की लाभ व हानि लेखा का प्रारूप विशेष रूप से चालू वर्ष के लाभ व हानि पर पूर्व अवधि के मदों के प्रभाव को नहीं दर्शाता, अत: जहां भी आवश्यक हों, ऐसे प्रकटीकरण एनटीए में किए जा सकते हैं।

4.8. राजस्व मान्यता

एक उद्यम को उन परिस्थितियों का भी प्रकटीकरण करना चाहिए जिसमें राजस्व मान्यता को अहम अनिश्चितताओं के लंबित हल तक स्थगित कर दिया गया है।

4.9. लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

एचएफसी आईसीएआई द्वारा समय-समय पर जारी किये गए सामान्य स्पष्टीकरणों से निर्देशित हो। सीएफएस प्रस्तुत करने वाली मूल कंपनी सभी सहायक कंपनियों- घरेलू के साथ-साथ विदेशी भी, के वित्तीय विवरणों का समेकित करना चाहिए। सहायक कंपनियों का समेकन न करने के कारणों का सीएफएस में प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। समेकन के लिए खास संस्था को शामिल किया जाये या नहीं, यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी मूल संस्था के प्रबंधन की होगी। यदि, उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों का अभिमत है कि कोई संस्था जिसका समेकन किया जाना चाहिए था, उसे छोड़ दिया गया हैं तो, उन्हें इस संबंध में 'लेखा परीक्षा रिपोर्ट' में अपनी टिप्पणियों को शामिल करना चाहिए।

5. अतिरिक्त प्रकटीकरण

5.1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

वित्तीय विवरणों को आसानी से पढ़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए एवं सभी प्रावधानों व आकस्मिकताओं पर सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, एचएफसी को एनटीए में निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण करना आवश्यक है:

[₹ करोड़ में]

लाभ व हानि लेखा में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाये गये 'प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं' का संबंध विच्छेद	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
2. आयकर के प्रति किए गये प्रावधान		
3. एनपीए प्रति किए गये प्रावधान		
4. मानक आस्तियों के प्रावधान (टीज़र ऋण, सीआरई, सीआरई-आरएच इत्यादि जैसे विवरणों के साथ)		
5. अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (विवरण के साथ)		

[₹ करोड़ में]

ऋण एवं अग्रिम एवं उन पर प्रावधानों का संबंध विच्छेद	आवासीय		गैर-आवासीय	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक आस्तियां				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				

उप-मानक आस्तियां				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				
संदिग्ध आस्तियां - वर्ग-I				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				
संदिग्ध आस्तियां - वर्ग-II				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				
संदिग्ध आस्तियां - वर्ग-III				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				
हानिप्रद आस्तियां				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				
कुल				
क) कुल बकाया राशि				
ख) किए गये प्रावधान				

टिप्पणी:

1. कुल बकाया राशि का तात्पर्य मूलधन + प्रोद्भूत ब्याज + समायोजित किए बिना संदिग्ध आस्तियों के संबंध में अन्य प्रभार
2. संदिग्ध आस्तियों की श्रेणी निम्नानुसार होंगे:

वह अवधि जिसके लिए आस्तियां संदिग्ध के तौर पर मानी गयी हैं	वर्ग
एक वर्ष तक	वर्ग-I
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	वर्ग-II
तीन वर्ष से अधिक	वर्ग-III

5.2. निधियों से आहरण द्वारा कमी

निधियों से आहरण द्वारा कोई कमी आने के संबंध में एनटीए में समुचित प्रकटीकरण किया जाये।

5.3. सार्वजनिक जमाएं, अग्रिम, एक्सपोजर एवं एनपीए का संकेंद्रण

5.3.1. सार्वजनिक जमाओं का संकेंद्रण (सार्वजनिक जमा लेने वाली/धारण करने वाली एचएफसी के लिए)

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालूवर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं		
एचएफसी की कुल जमाओं की तुलना में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत		

5.3.2. ऋणों एवं अग्रिमों का सकेंद्रण

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल ऋण एवं अग्रिम		
एचएफसी के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के ऋण एवं अग्रिमों का प्रतिशत		

5.3.3. सभी एक्सपोजर का संकेंद्रण (तुलनपत्रेतर एक्सपोजर सहित)

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर		
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एचएफसीके कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत		

5.3.4. एनपीए का सकेंद्रण

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
दस सबसे बड़े एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर		

5.3.5. क्षेत्र-वार एनपीए

[₹ करोड़ में]

क्र. सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का प्रतिशत
क	आवासीय ऋण:	
1.	वैयक्तिक	
2.	बिल्डर्स/परियोजना ऋण	
3.	करोपोर्टेस	
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
ख	आवासीय ऋण:	
1.	वैयक्तिक	
2.	बिल्डर्स/परियोजना ऋण	
3.	करोपोर्टेस	
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	

5.4. एनपीए संचलन

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)		
(II) एनपीए संचलन (सकल)		
क) प्रारंभिक शेष		
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		

ग) वर्ष के दौरान अपचयन		
घ) अंत शेष		
(III) निवल एनपीए संचलन		
क) प्रारंभिक शेष		
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
ग) वर्ष के दौरान अपचयन		
घ) अंत शेष		
(IV) एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)		
क) प्रारंभिक शेष		
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन		
ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना/प्रतिलेखन		
घ) अंत शेष		

5.5. विदेशी आस्तियां

[₹ करोड़ में]

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष

5.6. तुलनपत्रेतर प्रायोजित एसपीवी (जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित करना आवश्यक होता है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी

6. शिकायतों का प्रकटीकरण

6.1. ग्राहकों की शिकायतें

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वर्ष की शुरूआत में लंबित शिकायतों की संख्या		
ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
ग) वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या		
घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या		

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

चण्डीगढ़, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

सं. 37968./नि. वि/4053/आर-4—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 79 की उप धारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी-III एवं श्रेणी-IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम,1994 में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों को भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी-III एवं श्रेणी-IV कर्मचारी(भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 2016 कहा जाए।

(2) ये इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी-III एवं श्रेणी-IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 1994 में विनियम 11 में अंत में आने वाले शब्दों "पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई" को "इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आर. एस. जालटा
विशेष सचिव

टिप्पणी:—

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड श्रेणी-III एवं श्रेणी-IV कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम,1994 भारत के राजपत्र के भाग-III, खण्ड 4 में दिनांक 24 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या 17612/नि.वि/25/86/आर-4 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

चण्डीगढ़, दिनांक 22 दिसम्बर 2016

सं. 382/पीडी-774/एपीडी-5—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा-79 की उप-धारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारियों (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2015 में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) ये विनियम भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 2016 कहलाएंगे।

(2) ये इनके सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारियों (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2015 में, विनियम-11 में, शब्दों, अक्षरों, ब्रेकट तथा अंकों "पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई अन्य सभी रियायतों में आरक्षण होगा। पंजाब अनुसूचित जाति और पिछडी श्रेणी (आरक्षण) अधिनियम, 2006 के उपबन्ध लागू होंगे" को "अन्य सभी रियायतों में आरक्षण इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप होगा" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

तरूण अग्रवाल
सचिव, बीबीएमबी

टिप्पणी:—

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2015 भारत के राजपत्र के भाग-।।।, खण्ड-4 में दिनांक 10 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 176/पीडी-774/एपीडी-4 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 3rd February 2017

No. NHB.HFC.AR-DIR.1/MD&CEO/2016—The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary to give the directions as set out below, in exercise of the powers conferred, by sub-section (1A) of sections 33 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, gives Directions hereinafter specified.

1. Short title, commencement and applicability of the Directions

(i) These Directions shall be known as the "Housing Finance Companies – Auditor's Report (National Housing Bank) Directions, 2016".

(ii) Unless otherwise directed by the National Housing Bank (NHB), these Directions shall be applicable to every auditor of a Housing Finance Company (HFC) as defined in paragraph 2(1)(m) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010.

(iii) These Directions shall come into force with immediate effect.

2. Auditors to submit additional Report to the Board of Directors

In addition to the Report made by the auditor under Section 143 of the Companies Act, 2013 on the accounts of a housing finance company examined for every financial year ending on any day on or after the commencement of these Directions, the auditor shall also make a separate report to the Board of Directors of the Company on the matters specified in paragraphs 3 and 4 below.

3. Material to be included in the Auditor's Report to the Board of Directors

The auditor's report on the accounts of a housing finance company shall include a statement on the following matters, namely:-

(A) In case of all Housing Finance Companies

I. Conducting Housing Finance Activity without a valid Certificate of Registration (CoR) granted by the NHB is an offence under chapter VII of the NHB Act, 1987. Therefore, if the company, which primarily transacts or has one of its principal objects, the transacting of the business of providing finance for housing, whether directly or indirectly, auditor shall examine whether the company has obtained a Certificate of Registration (CoR) from the NHB.

II. Whether the company is meeting the required Net Owned Fund (NOF) requirement as prescribed under Section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 including paid up preference shares which are compulsorily convertible into equity.

(B) In case of a Housing Finance Companies accepting/holding public deposits

Apart from the matters enumerated in (A) above, the auditor shall include a statement on the following matters, namely:-

(i) Whether the housing finance company has complied with Section 29C of the National Housing Bank Act, 1987;

(ii) Whether the public deposits accepted by the housing finance company together with other borrowings indicated below viz.

(a) from public by issue of unsecured non-convertible debentures/ bonds;

(b) from its shareholders (if it is a public limited company); and

(c) which are not excluded from the definition of 'public deposit' in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010

are within the limits admissible to the company as per the provisions of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(iii) Whether the public deposits held by the housing finance company in excess of the quantum of such deposits permissible to it under the provisions of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 are regularised in the manner provided in the said Directions;

(iv) Whether the housing finance company is accepting/holding "public deposits" without minimum investment grade credit rating from an approved credit rating agency;

(v) In respect of housing finance company referred to in clause (iv) above,

(a) whether the credit rating, for each of the fixed deposits schemes that has been assigned by one of the Credit Rating Agencies mentioned in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 is in force; and

(b) whether the aggregate amount of deposits outstanding as at any point during the year has exceeded the limit specified by the such Credit Rating Agency;

(vi) Whether the housing finance company has defaulted in paying to its depositors the interest and /or principal amount of the deposits after such interest and/or principal became due;

(vii) Whether the total borrowings of the housing finance company are within the limits prescribed under paragraph 3(2) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(viii) Whether the housing finance company has complied with the prudential norms on income recognition, accounting standards, asset classification, loan-to-value ratio, provisioning requirements, disclosure in balance sheet, investment in real estate, exposure to capital market and engagement of brokers, and concentration of credit/investments as specified in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(ix) Whether the capital adequacy ratio as disclosed in the Schedule-II return submitted to the National Housing Bank in terms of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 has been correctly determined and whether such ratio is in compliance with the minimum capital to risk weighted asset ratio (CRAR) prescribed therein;

(x) Whether the housing finance company has furnished to the Bank within the stipulated period the Schedule-II return as specified in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(xi) Whether the housing finance company has complied with the liquid assets requirement as prescribed by the National Housing Bank in exercise of powers under section 29B of the National Housing Bank Act, 1987 and the requirements as specified in paragraphs 14 and 15 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(xii) Whether the housing finance company has furnished to the National Housing Bank within the stipulated period the Schedule-III return on Statutory Liquid Assets as specified in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(xiii) Whether, in the case of opening of new branches /offices or in the case of closure of existing branches/offices, the housing finance company has complied with the requirements contained in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010.

(xiv) Whether the housing finance company has complied with the provisions contained in paragraph 38 and 38A of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(xv) Whether the housing finance company has violated any provisions contained under restriction on acceptance of public deposits, period of public deposits, Joint public deposit, particulars to be specified in application form soliciting public deposits, ceiling on the rate of interest and brokerage and interest on overdue public deposits, renewal of public deposits before maturity as provided in Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010.

(C) In case of a Housing Finance Companies not accepting/holding public deposits

Apart from the matters enumerated in (A) above, the auditor shall include a statement on the following matters, namely:-

(i) Whether the housing finance company has complied with Section 29C of the National Housing Bank Act, 1987;

(ii) Whether the Board of Directors of the housing finance company has passed a resolution for non-acceptance of any public deposits;

(iii) Whether the housing finance company has accepted any public deposits during the relevant period/year;

(iv) Whether the total borrowings of the housing finance company are within the limits prescribed under paragraph 3(2) of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(v) Whether the housing finance company has complied with the prudential norms on income recognition, accounting standards, asset classification, loan-to-value ratio, provisioning requirements, disclosure in balance sheet, investment in real estate, exposure to capital market and engagement of brokers, and

concentration of credit/investments as specified in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(vi) Whether the capital adequacy ratio as disclosed in the Schedule-II return submitted to the National Housing Bank in terms of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 has been correctly determined and whether such ratio is in compliance with the minimum capital to risk weighted asset ratio (CRAR) prescribed therein;

(vii) Whether the housing finance company has furnished to the Bank within the stipulated period the Schedule-II return as specified in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(viii) Whether the housing finance company has furnished to the National Housing Bank within the stipulated period the Schedule-III return on Statutory Liquid Assets as specified in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(ix) Whether, in the case of opening of new branches /offices or in the case of closure of existing branches/offices, the housing finance company has complied with the requirements contained in the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010;

(x) Whether the housing finance company has complied with the provisions contained in paragraph 38 and 38A of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010.

4. Reasons to be stated for unfavourable or qualified statements

Where, in the auditor's report, the statement regarding any of the items referred to in paragraph 3 above is unfavourable or qualified, the auditor's report shall also state the reasons for such unfavourable or qualified statement, as the case may be. Where the auditor is unable to express any opinion on any of the items referred to in paragraph 3 above, his report shall indicate such fact together with reasons therefor.

5. Obligation of auditor to report to the National Housing Bank

(I) Where, in the case of a housing finance company, the statement regarding any of the items referred to in paragraph 3 above, is unfavourable or qualified, or in the opinion of the auditor the company has not complied with:

a. the provisions of Chapter V of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987); or

b. Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010; or

c. Housing Finance Companies issuance of Non-Convertible Debentures on private placement basis (NHB) Directions, 2014

it shall be the obligation of the auditor to make a report containing the details of such unfavourable or qualified statements and/or about the non-compliance, as the case may be, in respect of the housing finance company to the Department of Regulation & Supervision, National Housing Bank, New Delhi.

(II) The duty of the Auditor under sub-paragraph (I) shall be to report only the contraventions of the provisions of NHB Act, 1987, and Directions, Guidelines, instructions referred to in sub-paragraph (1) and such report shall not contain any statement with respect to compliance of any of those provisions.

6. Application of other laws not barred

The provisions of these Directions shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other laws, rules, regulations or directions, for the time being in force.

7. Exemptions

The National Housing Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extensions of time to comply with or exempt auditor of any housing finance company or class of housing finance companies, from all or any of the provisions of these Directions either generally or for any specified period subject to such conditions as the National Housing Bank may impose.

8. Interpretations

For the purpose of giving effect to the provisions of these directions, the National Housing Bank may, if it considers necessary, issue necessary clarifications in respect of any matter covered herein and the interpretation of any provision of these directions given by the National Housing Bank shall be final and binding on all the parties concerned.

9. Repeal and saving

The provisions of Chapter IV of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 shall stand repealed by these Directions.

Notwithstanding such repeal,

a) any action taken, purported to have been taken or initiated under the Directions hereby repealed shall, continue to be governed by the provisions of said Directions

b) any reference in other Notifications issued by the Bank containing reference to the said repealed Directions, shall mean reference to these Directions, namely, Housing Finance Companies - Auditor's Report (National Housing Bank) Directions, 2016, after the date of repeal.

SRIRAM KALYANARAMAN
Managing Director & Chief Executive Officer

The 9th February 2017

No. NHB.HFC.ATC-DIR.1/MD&CEO/2016—The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary to give the directions as set out below, in exercise of the powers conferred, by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, gives Directions hereinafter specified.

1. Short title, commencement and applicability of the Directions

(i) These Directions shall be known as the "Housing Finance Companies - Approval of Acquisition or Transfer of Control (National Housing Bank) Directions, 2016".

(ii) Unless otherwise directed by the National Housing Bank, these Directions shall be applicable to every Housing Finance Company (HFCs) registered under section 29A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987).

(iii) These Directions shall come into force with immediate effect, i.e., the same will apply on any takeover or acquisition or control, any change in the shareholding or any change in the management occurring after the date of this notification.

2. Definitions

For the purpose of these Directions, unless the context otherwise requires,-

"control" shall have the same meaning as is assigned to it under clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 2 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

3. Requirement to obtain prior approval of National Housing Bank for acquisition or transfer of control of HFCs

(i) The prior written permission of the National Housing Bank shall be required for-

a) any takeover or acquisition of control of an HFC, which may or may not result in change of management;

b) any change in the shareholding of an HFC, including progressive increases over time, which would result in acquisition / transfer of shareholding of 26 per cent or more of the paid up equity capital of the HFC.

Provided that, prior approval would not be required in case of any shareholding going beyond 26% due to buyback of shares / reduction in capital where it has approval of a competent Court. However, the same is to be reported to the National Housing Bank not later than one month from the date of its occurrence;

c) any change in the management of the HFC which would result in change in more than 30 per cent of the directors, excluding independent directors.

Provided that, prior approval would not be required in case of directors who get re-elected on retirement by rotation.

(ii) Notwithstanding clause (i), HFCs shall continue to inform the National Housing Bank regarding any change in their directors/management as required in Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010.

4. Application for prior approval

(i) HFCs shall submit an application, in the company's letter head, for obtaining prior approval of the National Housing Bank under paragraph 3, along with the following documents:

a) Information about the proposed directors/shareholders as per *Annex-I*;

b) Sources of funds of the proposed shareholders acquiring the shares in the HFC;

c) Declaration by the proposed directors/shareholders that they are not associated with any unincorporated body that is accepting public deposits;

d) Declaration by the proposed directors /shareholders that they are not associated with any company, the application for Certificate of Registration (CoR) of which has been rejected by the National Housing Bank;

e) Declaration by the proposed directors/shareholders that there is no criminal case, including for offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act, against them; and

f) Bankers' Report on the proposed directors/shareholders.

(ii) Applications in this regard shall be submitted to the General Manager, Department of Regulation & Supervision, National Housing Bank, New Delhi.

5. Requirement of Prior Public Notice about change in control/management

(i) A public notice of at least 30 days shall be given before effecting the sale of, or transfer of the ownership by sale of shares, or transfer of control, whether with or without sale of shares. Such public notice shall be given by the HFCs and also by the other party or jointly by the parties concerned, after obtaining the prior permission of the National Housing Bank.

(ii) The public notice shall indicate the intention to sell or transfer ownership/ control, the particulars of transferee and the reasons for such sale or transfer of ownership/control. The notice shall be published in at least one leading national and in one leading local (covering the place of registered office) vernacular newspaper.

6. Application of other laws not barred

The provisions of these Directions shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other laws, rules, regulations or directions, for the time being in force.

7. Permission to accept public deposits in cases of acquisition or transfer of control of HFCs holding CoR valid for accepting public deposits

It may be clarified that in cases of acquisition or transfer of control of HFCs holding CoR valid for accepting public deposits, the National Housing Bank reserve the right to review the grant of permission to accept public deposits.

8. Repeal and saving

The provisions contained under Paragraph 19 of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2010 shall stand repealed by these Directions.

Notwithstanding such repeal,

a) any action taken, purported to have been taken or initiated under the Directions hereby repealed shall, continue to be governed by the provisions of said Directions.

b) any reference in other Notifications issued by the National Housing Bank containing reference to the said repealed Directions, shall mean reference to these Directions, namely, the Housing Finance Companies - Approval of Acquisition or Transfer of Control (National Housing Bank) Directions, 2016, after the date of repeal.

9. Exemptions

The National Housing Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extensions of time to comply with or exempt any housing finance company or class of housing finance companies, from all or any of the provisions of these Directions either generally or for any specified period subject to such conditions as the National Housing Bank may impose.

10. Interpretations

For the purpose of giving effect to the provisions of these directions, the National Housing Bank may, if it considers necessary, issue necessary clarifications in respect of any matter covered herein and the interpretation of any provision of these directions given by the National Housing Bank shall be final and binding on all the parties concerned.

SRIRAM KALYANARAMAN
Managing Director & Chief Executive Officer

Annex-I

Annex-I (1)

INFORMATION ABOUT THE PROPOSED PROMOTERS/DIRECTORS/SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Sr. No.	Particulars Required	Response
1	Name	
2	Designation	Chairman / Managing Director / Director / Chief Executive Officer
3	Nationality	
4	Age (to be substantiated with date of birth)	
5	Business Address	
6	Residential Address	
7	E-mail address / Telephone number	
8	PAN under Income Tax Act	
9	Director Identification Number (DIN)	
10	Social security number/Passport No.*	
11	Educational/professional qualifications	
12	Professional Achievement relevant to the job	
13	Line of business or vocation	
14	Any other information relevant to the Company	
15	Name/s of other companies in which the person has held the post of Chairman/ Managing Director / Director / Chief Executive Officer	
16	Name/s of the regulators (RBI, SEBI, IRDA, PFRDA, NHB or any other foreign regulator) of the entities mentioned in which the persons hold directorships	
17	Name/s of the HFCs, if any, with which the person is associated as Promoter, Managing Director, Chairman or Director which has been prohibited from accepting deposits / prosecuted by NHB ?	
18	Detail of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the person and/or against any of the entities he is associated with for violation of economic laws and regulations	
19	Cases, if any, where the person or relatives of the person or the companies in which the person is associated with, are in default or have been in default in the last 5 years in respect of credit facilities obtained from any entity or bank	
20	If a person is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of any professional occupation at any time	
21	Whether the person attracts any of the disqualification envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013	

22	Has the person or any of the companies, he/ she is associated with, been subject to any investigation at the instance of the Government Department or Agency	
23	Has the person at any time been found guilty of violations of rules/ regulations/ legislative requirements by Customs/ Excise/ Income Tax/Foreign Exchange/ Other Revenue Authorities, if so, give particulars	
24	Experience in the business of HFC (number of years)	
25	Equity shareholding in the company	
	(i) No. of shares	……..
	(ii) Face value	₹……..
	(iii) Percentage to total paid up equity share capital of the company	……..
26	Name/s of the companies, firms and proprietary concerns in which the person holds substantial interest	
27	Names of the principal bankers to the concerns at 26 above	
28	Names of the overseas bankers*	
29	Whether number of directorships held by the person exceeds the limits prescribed under Section 165 of the Companies Act, 2013	
		Signature :
	Date :	Name :
	Place:	Designation :
		Company Seal :

* For foreign promoters / directors / shareholders

Note: (i) Separate form shall be submitted in respect of each of the proposed promoters/ directors/ shareholders

Annex-I (2)

INFORMATION ABOUT CORPORATE PROMOTER

Sr. No.	Particulars Required	Response
1	Name	
2	Business Address	
3	E-mail address/ Telephone number	
4	PAN under Income Tax Act	
5	Name and contact details of compliance officer	
6	Line of business	
7	The details of their major shareholders (more than 10%) and line of activity, if corporates	
8	Names of the principal bankers/ overseas bankers *	

9	Name/s of the regulators (RBI, SEBI, IRDA, PFRDA, NHB or any other foreign regulator)	
10	Name/s of Company/ies in the Group as defined in the Prudential Norms Directions	
11	Name/s of the company/ies in the Group that are HFCs	
12	Specify the names of companies in the group which have been prohibited from accepting deposits/prosecuted by NHB?	
13	Detail of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the corporate for violation of economic laws and regulations	
14	Cases, if any, where the corporate, is in default or have been in default in the last 5 years in respect of credit facilities obtained from any entity or bank	
15	Whether the corporate has been subject to any investigation at the instance of the Government Department or Agency	
16	Has the Corporate at any time been found guilty of violations of rules/ regulations/ legislative requirements by Customs/ Excise/ Income Tax/Foreign Exchange/ Other Revenue Authorities, if so, give particulars	
17	Has the promoter corporate/ majority shareholder of the promoter corporate, if a corporate, ever applied to NHB for CoR which has been rejected	
		Signature :
	Date :	Name :
	Place:	Designation :
		Company Seal :

* For foreign corporate

No. NHB.HFC.CG-DIR.1/MD&CEO/2016—The National Housing Bank having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling it to regulate the housing finance system of the country to its advantage, it is necessary to give the directions as set out below, in exercise of the powers conferred, by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and of all the powers enabling it in this behalf, gives Directions hereinafter specified.

1. Short title, commencement of the Directions

(i) These Directions shall be known as the "Housing Finance Companies – Corporate Governance (National Housing Bank) Directions, 2016".

(ii) These Directions shall come into force with immediate effect.

2. Extent of the Directions

These Directions shall apply to every non-public deposit accepting Housing Finance Company (HFC) with assets size of ₹50 crore and above, as per the last audited balance sheet, and all public deposit accepting / holding Housing Finance Companies (HFCs), henceforth called Applicable HFCs.

3. Constitution of Committees of the Board

I. Audit Committee

(i) All Applicable HFCs shall constitute an Audit Committee, consisting of not less than three members of its Board of Directors.

Explanation I: The Audit Committee constituted by a Housing Finance Company as required under Section 177 of the Companies Act, 2013 shall be the Audit Committee for the purposes of this paragraph.

Explanation II: The Audit Committee constituted under this paragraph shall have the same powers, functions and duties as laid down in Section 177 of the Companies Act, 2013.

(ii) The Audit Committee must ensure that an Information System Audit of the internal systems and processes is conducted at least once in two years to assess operational risks faced by the HFCs.

II. Nomination Committee

All Applicable HFCs shall form a Nomination Committee to ensure 'fit and proper' status of proposed/ existing directors.

Explanation I: The Nomination Committee constituted under this paragraph shall have the same powers, functions and duties as laid down in Section 178 of the Companies Act, 2013.

III. Risk Management Committee

To manage the integrated risk, all Applicable HFCs shall form a Risk Management Committee, besides the Asset Liability Management Committee.

4. Fit and Proper Criteria

All applicable HFCs shall

I. ensure that a policy is put in place with the approval of the Board of Directors for ascertaining the fit and proper criteria of the directors at the time of appointment, and on a continuing basis. The policy on the fit and proper criteria shall be on the lines of the Guidelines contained in Annex-1;

II. obtain a declaration and undertaking from the directors giving additional information on the directors. The declaration and undertaking shall be on the lines of the format given in Annex-2;

III. obtain a Deed of Covenant signed by the directors, which shall be in the format as given in Annex-3.

IV. furnish to the National Housing Bank a quarterly statement on change of directors, and a certificate from the Managing Director of the HFC that fit and proper criteria in selection of the directors has been followed. The statement must reach National Housing Bank, New Delhi within 15 days of the close of the respective quarter. The statement submitted by HFCs for the quarter ending March 31, should be certified by the auditors.

Provided that the National Housing Bank, if it deems fit and in public interest, reserves the right to examine the fit and proper criteria of directors of any HFC irrespective of the asset size of such HFCs.

5. Disclosure and transparency

I. All Applicable HFCs shall put up to the Board of Directors, at regular intervals, as may be prescribed by the Board in this regard, the following:

(i) the progress made in putting in place a progressive risk management system and risk management policy and strategy followed by the HFC;

(ii) conformity with corporate governance standards viz., in composition of various committees, their role and functions, periodicity of the meetings and compliance with coverage and review functions, etc.

II. All Applicable HFCs shall also disclose the following in their Annual Financial Statements, with effect from March 31, 2017:

(i) Registration/licence/authorisation, by whatever name called, obtained from other financial sector regulators;

(ii) ratings assigned by credit rating agencies and migration of ratings during the year;

(iii) penalties, if any, levied by any regulator;

(iv) information namely, area, country of operation and joint venture partners with regard to Joint ventures and overseas subsidiaries and

(v) Asset-Liability profile, NPAs and movement of NPAs, details of all off-balance sheet exposures, exposure to real estate, exposure to capital market, disclosure of complaints as also securitization / assignment transactions and other disclosures, as given in Annex-4.

6. Application of other laws not barred

The provisions of these Directions shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other laws, rules, regulations or directions, for the time being in force.

7. Rotation of partners of the Statutory Auditors Audit Firm

All Applicable HFCs shall rotate the partner/s of the Chartered Accountant firm conducting the audit, every three years so that same partner does not conduct audit of the company continuously for more than a period of three years. However, the partner so rotated will be eligible for conducting the audit of the HFC after an interval of three years, if the HFC, so decides. HFCs shall incorporate appropriate terms in the letter of appointment of the firm of auditors and ensure its compliance.

8. Framing of Internal Guidelines

All applicable HFCs shall frame their internal guidelines on corporate governance with the approval of the Board of Directors, enhancing the scope of the guidelines without sacrificing the spirit underlying the above guidelines and it shall be published on the company's web-site, if any, for the information of various stakeholders.

9. Exemptions

The National Housing Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extensions of time to comply with or exempt any housing finance company or class of housing finance companies, from all or any of the provisions of these Directions either generally or for any specified period subject to such conditions as the National Housing Bank may impose.

10. Interpretations

For the purpose of giving effect to the provisions of these directions, the National Housing Bank may, if it considers necessary, issue necessary clarifications in respect of any matter covered herein and the interpretation of any provision of these directions given by the National Housing Bank shall be final and binding on all the parties concerned.

SRIRAM KALYANARAMAN
Managing Director & Chief Executive Officer

Annex-1

'Fit and Proper' Criteria for Directors of Housing Finance Companies'

The importance of due diligence of Directors to ascertain suitability for the post by way of qualifications, technical expertise, track record, integrity, etc. needs no emphasis for any financial institution. It is proposed to follow the same guidelines mutatis muntandis in case of Housing Finance Companies also. While the National Housing Bank carries out due diligence on Directors before issuing Certificate of Registration to HFC, it is necessary that HFCs put in place an internal supervisory process on a continuing basis. Further, in order to streamline and bring in uniformity in the process of due diligence, while appointing Directors, HFCs are advised to ensure that the procedures mentioned below are followed and minimum criteria fulfilled by the persons before they are appointed on the Boards:

a) HFCs should undertake a process of due diligence to determine the suitability of the person for appointment / continuing to hold appointment as a Director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity and other 'fit and proper' criteria. HFCs should obtain necessary information and declaration from the proposed/existing Directors for the purpose in the format given at Annex-2.

b) The process of due diligence should be undertaken by the HFCs at the time of appointment / renewal of appointment.

c) The Boards of the HFCs should constitute Nomination Committees to scrutinize the declarations.

d) Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committees should decide on the acceptance or otherwise of the Directors, where considered necessary.

e) HFCs should obtain annually as on 31st March a simple declaration from the Directors that the information already provided has not undergone change and where there is any change, requisite details are furnished by them forthwith.

f) The Board of HFCs must ensure in public interest that the nominated/ elected Directors execute the deeds of covenants in the format given in Annex-3.

Annex-2

Name of HFC: _____

Declaration and Undertaking by Director (with enclosures as appropriate as on _____)

I. Personal details of Director

a. Full Name

b. Date of Birth

c. Educational Qualifications

d. Relevant Background and Experience

e. Permanent Address

f. Present Address

g. E-mail Address / Telephone Number

h. Director Identification Number

i. Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle

j. Relevant knowledge and experience

k. Any other information relevant to Directorship of the HFC

II. Relevant Relationship of Director

a. List of Relatives if any who are connected with the HFC (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956 and corresponding provisions of New Companies Act, 2013)

b. List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956 and corresponding provisions of New Companies Act, 2013)

c. List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of HFC (NHB) Directions, 2010

d. Name of HFC in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)

e. Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the HFC

f. Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the HFC or any other HFC / bank.

III. Records of professional achievements

a. Relevant professional achievements

IV. Proceedings, if any, against the Director

a. If the director is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry into any profession/ occupation at any time.

b. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.

c. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the last five years against the director.

d. Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Companies Act 1956 and corresponding provisions of New Companies Act, 2013?

e. Has the director or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?

f. Has the director at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange /other revenue authorities, if so give particulars.

g. Whether the director has at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, MCA, RBI, etc.

(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by the regulators which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit, If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned.)

V. Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper.

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the HFC fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all Directors of the HFC.

Place : Signature

Date :

VI. Remarks of Chairman of Nomination Committee / Board of Directors of HFC

Place : Signature

Date :

Annex-3

Form of Deed of Covenants with a Director

THIS DEED OF COVENANTS is made this ……. day of ……. Two Thousand……..BETWEEN …… having its registered office at …….. (hereinafter called the "HFC") of the one part and Mr/Ms …….. of …….. (hereinafter called the "Director") of the other part.

WHEREAS

A. The director has been appointed as a director on the Board of Directors of the HFC (hereinafter called "the Board") and is required as a term of his / her appointment to enter into a Deed of Covenants with the HFC.

B. The director has agreed to enter into this Deed of Covenants, which has been approved by the Board, pursuant to his said terms of appointment.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND THIS DEED OF COVENANTS WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. The director acknowledges that his / her appointment as director on the Board of the HFC is subject to applicable laws and regulations including the Memorandum and Articles of Association of the HFC and the provisions of this Deed of Covenants.

2. The director covenants with the HFC that:

   (i) The director shall disclose to the Board the nature of his / her interest, direct or indirect, if he / she has any interest in or is concerned with a contract or arrangement or any proposed contract or arrangement entered into or to be entered into between the HFC and any other person, immediately upon becoming aware of the same or at meeting of the Board at which the question of entering into such contract or arrangement is taken into consideration or if the director was not at the date of that meeting concerned or interested in such proposed contract or arrangement, then at the first meeting of the Board held after he / she becomes so concerned or interested and in case of any other contract or arrangement, the required disclosure shall be made at the first meeting of the Board held after the director becomes concerned or interested in the contract or arrangement.

   (ii) The director shall disclose by general notice to the Board his / her other directorships, his / her memberships of bodies corporate, his / her interest in other entities and his / her interest as a partner or proprietor of firms and shall keep the Board apprised of all changes therein.

   (iii) The director shall provide to the HFC a list of his / her relatives as defined in the Companies Act, 1956 or 2013 and to the extent the director is aware of directorships and interests of such relatives in other bodies' corporate, firms and other entities.

   (iv) The director shall in carrying on his / her duties as director of the HFC:

      a) use such degree of skill as may be reasonable to expect from a person with his / her knowledge or experience;

      b) in the performance of his / her duties take such care as he / she might be reasonably expected to take on his / her own behalf and exercise any power vested in him / her in good faith and in the interests of the HFC;

      c) shall keep himself / herself informed about the business, activities and financial status of the HFC to the extent disclosed to him / her;

      d) attend meetings of the Board and Committees thereof (collectively for the sake of brevity hereinafter referred to as "Board") with fair regularity and conscientiously fulfil his / her obligations as director of the HFC;

      e) shall not seek to influence any decision of the Board for any consideration other than in the interests of the HFC;

      f) shall bring independent judgment to bear on all matters affecting the HFC brought before the Board including but not limited to statutory compliances, performance reviews, compliances with internal control systems and procedures, key executive appointments and standards of conduct;

      g) shall in exercise of his / her judgement in matters brought before the Board or entrusted to him / her by the Board be free from any business or other relationship which could materially interfere with the exercise of his / her independent judgement; and

h) shall express his / her views and opinions at Board meetings without any fear or favour and without any influence on exercise of his / her independent judgement;

(v) The director shall have:

a) fiduciary duty to act in good faith and in the interests of the HFC and not for any collateral purpose;

b) duty to act only within the powers as laid down by the HFC's Memorandum and Articles of Association and by applicable laws and regulations; and

c) duty to acquire proper understanding of the business of the HFC.

(vi) The director shall:

a) not evade responsibility in regard to matters entrusted to him / her by the Board;

b) not interfere in the performance of their duties by the whole-time Directors and other officers of the HFC and wherever the director has reasons to believe otherwise, he / she shall forthwith disclose his / her concerns to the Board; and

c) not make improper use of information disclosed to him / her as a member of the Board for his / her or someone else's advantage or benefit and shall use the information disclosed to him / her by the HFC in his / her capacity as director of the HFC only for the purposes of performance of his / her duties as a director and not for any other purpose.

d) make declaration to the effect that:

(i) he/she has not been associated with any unincorporated body that is accepting deposits;

(ii) he/she has not been associated with any company, the application for Certificate of Registration (CoR) of which has been rejected by the National Housing Bank;

(iii) there is no criminal case, including for offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act, against him/her.

3. The HFC covenants with the director that:

(i) the HFC shall apprise the director about:

a) Board procedures including identification of legal and other duties of Director and required compliances with statutory obligations;

b) control systems and procedures;

c) voting rights at Board meetings including matters in which Director should not participate because of his / her interest, direct or indirect therein;

d) qualification requirements and provide copies of Memorandum and Articles of Association;

e) corporate policies and procedures;

f) insider dealing restrictions;

g) constitution of, delegation of authority to and terms of reference of various committees constituted by the Board;

h) appointments of Senior Executives and their authority;

i) remuneration policy;

j) deliberations of committees of the Board, and

k) communicate any changes in policies, procedures, control systems, applicable regulations including Memorandum and Articles of Association of the HFC, delegation of authority, Senior Executives, etc. and appoint the compliance officer who shall be responsible for all statutory and legal compliance.

(ii) the HFC shall disclose and provide to the Board including the director all information which is reasonably required for them to carry out their functions and duties as a director of the HFC and to take informed

decisions in respect of matters brought before the Board for its consideration or entrusted to the director by the Board or any committee thereof;

(iii) the disclosures to be made by the HFC to the Directors shall include but not be limited to the following:

a) all relevant information for taking informed decisions in respect of matters brought before the Board;

b) HFC's strategic and business plans and forecasts;

c) organisational structure of the HFC and delegation of authority;

d) corporate and management controls and systems including procedures;

e) economic features and marketing environment;

f) information and updates as appropriate on HFC's products;

g) information and updates on major expenditure;

h) periodic reviews of performance of the HFC; and

i) report periodically about implementation of strategic initiatives and plans.

(iv) the HFC shall communicate outcome of Board deliberations to Directors and concerned personnel and prepare and circulate minutes of the meeting of Board to Directors in a timely manner and to the extent possible within two business days of the date of conclusion of the Board meeting; and

(v) advise the director about the levels of authority delegated in matters placed before the Board.

4. The HFC shall provide to the director periodic reports on the functioning of internal control system including effectiveness thereof.

5. The HFC shall appoint a compliance officer who shall be a senior executive reporting to the Board and be responsible for setting forth policies and procedures and shall monitor adherence to the applicable laws and regulations and policies and procedures including but not limited to directions of National Housing Bank and other concerned statutory and governmental authorities.

6. The director shall not assign, transfer, sublet or encumber his / her office and his / her rights and obligations as director of the HFC to any third party provided that nothing herein contained shall be construed to prohibit delegation of any authority, power, function or delegation by the Board or any committee thereof subject to applicable laws and regulations including Memorandum and Articles of Association of the HFC.

7. The failure on the part of either party hereto to perform, discharge, observe or comply with any obligation or duty shall not be deemed to be a waiver thereof nor shall it operate as a bar to the performance, observance, discharge or compliance thereof at any time or times thereafter.

8. Any and all amendments and / or supplements and / or alterations to this Deed of Covenants shall be valid and effectual only if in writing and signed by the director and the duly authorised representative of the HFC.

9. This Deed of Covenants has been executed in duplicate and both the copies shall be deemed to be originals.

IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES HAVE DULY EXECUTED THIS AGREEMENT ON THE DAY, MONTH AND YEAR FIRST ABOVE WRITTEN.

For the HFC

By ……..

Name:

Title:

Director

Name:

In the presence of:

1……..

2. …….

Annex-4

Indicative List of Balance Sheet Disclosure for HFCs with Asset Size ₹50 crore and above and Public Deposit Taking / Holding HFCs

1. Minimum Disclosures

At a minimum, the items listed in this Annex should be disclosed in the Notes to Accounts (NTA) by all applicable HFCs. The disclosures listed are intended only to supplement, and not to replace, other disclosure requirements as applicable.

2. Summary of Significant Accounting Policies

HFCs should disclose the accounting policies regarding key areas of operations at one place along with NTA in their financial statements. A suggestive list includes – Basis of Accounting, Transactions involving Foreign Exchange, Investments - Classification, Valuation, etc. Advances and Provisions thereon, Fixed Assets and Depreciation, Revenue Recognition, Employee Benefits, Provision for Taxation, Net Profit, etc.

3. Disclosures:

3.1. Capital [₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) CRAR (%)		
(ii) CRAR – Tier I Capital (%)		
(iii) CRAR – Tier II Capital (%)		
(iv) Amount of subordinated debt raised as Tier- II Capital		
(v) Amount raised by issue of Perpetual Debt Instruments		

3.2. Reserve Fund u/s 29C of NHB Act, 1987 [₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year		
a) Statutory Reserve u/s 29C of the National Housing Bank Act, 1987		
b) Amount of special reserve u/s 36(1)(viii)of Income Tax Act, 1961 taken into account for the purposes of Statutory Reserve under Section 29C of the NHB Act, 1987		
c) Total		
Addition / Appropriation / Withdrawal during the year		
Add: a) Amount transferred u/s 29C of the NHB Act, 1987		
b) Amount of special reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 taken into account for the purposes of Statutory Reserve under Section 29C of the NHB Act, 1987		
Less: a) Amount appropriated from the Statutory Reserve u/s 29C of the NHB Act, 1987		
b) Amount withdrawn from the Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 taken into account which has been taken into account for the purpose of provision u/s 29C of the NHB Act, 1987		

Balance at the end of the year		
a) Statutory Reserve u/s 29C of the National Housing Bank Act, 1987		
b) Amount of special reserve u/s 36(1)(viii)of Income Tax Act, 1961 taken into account for the purposes of Statutory Reserve under Section 29C of the NHB Act, 1987		
c) Total		

3.3. Investments [₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
3.5.1. Value of Investments		
(i) Gross value of Investments		
(a) In India		
(b) Outside India		
(ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India		
(b) Outside India		
(iii) Net value of Investments		
(a) In India		
(b) Outside India		
3.5.2. Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance		
(ii) Add: Provisions made during the year		
(iii) Less: Write-off / Written-bank of excess provisions during the year		
(iv) Closing balance		

3.4. Derivatives

3.4.1. Forward Rate Agreement (FRA) / Interest Rate Swap (IRS) [₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) The notional principal of swap agreements		
(ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements		
(iii) Collateral required by the HFC upon entering into swaps		
(iv) Concentration of credit risk arising from the swaps $		
(v) The fair value of the swap book @		
Note: Nature and terms of the swaps including information on credit and market risk and the accounting policies adopted for recording the swaps should also be disclosed.		
$ Examples of concentration could be exposures to particular industries or swaps with highly geared companies.		
@ If the swaps are linked to specific assets, liabilities, or commitments, the fair value would be the estimated amount that the HFC would receive or pay to terminate the swap agreements as on the balance sheet date.		

3.4.2. Exchange Traded Interest Rate (IR) Derivative [₹ in Crore]

Particulars	Amount
(i) Notional principal amount of exchange traded IR derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	
(a)	
(b)	
(c)	
(ii) Notional principal amount of exchange traded IR derivatives outstanding as on 31st March ……..….. (instrument-wise)	
(a)	
(b)	
(c)	
(iii) Notional principal amount of exchange traded IR derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
(a)	
(b)	
(c)	
(iv) Mark-to-market value of exchange traded IR derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
(a)	
(b)	
(c)	

3.4.3. Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

A. Qualitative Disclosure

HFCs shall describe their risk management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. The discussion shall also include:

a) the structure and organization for management of risk in derivatives trading,

b) the scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems,

c) policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants, and

d) accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

B. Quantitative Disclosure

[₹ in Crore]

Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
(i) Derivatives (Notional Principal Amount)		
(ii) Marked to Market Positions [1]		
(a) Assets (+)		
(b) Liability (-)		
(iii) Credit Exposure [2]		
(iv) Unhedged Exposures		

3.5. Securitisation

3.5.1. The NTA of the originating HFCs should indicate the outstanding amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the HFC and total amount of exposures retained by the HFC

as on the date of balance sheet towards the Minimum Retention Requirements (MRR). These figures should be based on the information duly certified by the SPV's auditors obtained by the originating HFC from the SPV. These disclosures should be made in the format given below.

[₹ in Crore]

	Particulars					No. / Amount
1.	No of SPVs sponsored by the HFC for securitisation transactions*					
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored					
3.	Total amount of exposures retained by the HFC towards the MRR as on the date of balance sheet					
	(I)	Off-balance sheet exposures towards Credit Enhancements				
		a)				
		b)				
	(II)	On-balance sheet exposures towards Credit Enhancements				
		a)				
		b)				
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR					
	(I)	Off-balance sheet exposures towards Credit Enhancements				
		a)	Exposure to own securitizations			
			i.)			
			ii.)			
		b)	Exposure to third party securitisations			
			i.)			
			ii.)			
	(II)	On-balance sheet exposures towards Credit Enhancements				
		a)	Exposure to own securitisations			
			i.)			
			ii.)			
		b)	Exposure to third party securitisations			
			i.)			
			ii.)			
*Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions may be reported here						

3.5.2. Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

[₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) No. of accounts		
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC		
(iii) Aggregate consideration		
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years		
(v) Aggregate gain / loss over net book value		

3.5.3. Details of Assignment transactions undertaken by HFCs [₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) No. of accounts		
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts assigned		

(iii)	Aggregate consideration		
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years		
(v)	Aggregate gain / loss over net book value		

3.5.4. Details of non-performing financial assets purchased / sold

HFCs which purchase non-performing financial assets from other HFCs shall be required to make the following disclosures in the NTA to their Balance sheets:

A. Details of non-performing financial assets purchased:

[₹ in Crore]

Particulars		Current Year	Previous Year
1.	(a) No. of accounts purchased during the year		
	(b) Aggregate outstanding		
2.	(a) Of these, number of accounts restructured during the year		
	(b) Aggregate outstanding		

B. Details of Non-performing Financial Assets sold:

[₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
1. No. of accounts sold		
2. Aggregate outstanding		
3. Aggregate consideration received		

3.6. Assets Liability Management (Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities)

[₹ in Crore]

Particulars	Up to 30/31 days (one month)	Over 1 month & up to 2 months	Over 2 months & up to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 month & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years & up to 7 years	Over 7 years & up to 10 years	Over 10 Years	Total
Liabilities											
Deposits											
Borrowings from Bank											
Market Borrowing											
Foreign Currency Liabilities											
Assets											
Advances											
Investments											
Foreign Currency Assets											

3.7. Exposure

3.7.1. Exposure to Real Estate Sector

[₹ in Crore]

Category			Current Year	Previous Year
a)	Direct Exposure			
	(i)	Residential Mortgages -		
		Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans up to ₹15 lakh may be shown separately)		
	(ii)	Commercial Real Estate -		
		Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;		
	(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
		a) Residential		
		b) Commercial Real Estate		
b)	Indirect Exposure			
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)			

3.7.2. Exposure to Capital Market

[₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;		
(ii) advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;		
(iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;		
(iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible		

	bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds 'does not fully cover the advances;		
(v)	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;		
(vi)	loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;		
(vii)	bridge loans to companies against expected equity flows / issues;		
(viii)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)		
Total Exposure to Capital Market			

3.7.3. Details of financing of parent company products

3.7.4. Details of Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the HFC

The HFC should make appropriate disclosure in the NTA to the annual financial statements in respect of the exposures where the HFC had exceeded the prudential exposure limits during the year. The sanctioned limit or entire outstanding, whichever is high, shall be reckoned for exposure limit.

3.7.5. Unsecured Advances

a) For determining the amount of unsecured advances the rights, licenses, authorisations, etc., charged to the HFCs as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) financed by them, should not be reckoned as tangible security. Hence such advances shall be reckoned as unsecured.

b) HFCs should also disclose the total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. has been taken as also the estimated value of such intangible collateral. The disclosure may be made under a separate head in NTA. This would differentiate such loans from other entirely unsecured loans.

4. Miscellaneous

4.1. Registration obtained from other financial sector regulators

4.2. Disclosure of Penalties imposed by NHB and other regulators

Consistent with the international best practices in disclosure of penalties imposed by the regulators, placing the details of the levy of penalty on the HFC in public domain will be in the interests of the investors and depositors. Further, strictures or directions on the basis of inspection reports or other adverse findings should also be placed in the public domain. The penalties should also be disclosed in the NTA.

4.3. Related party Transactions

a) Details of all material transactions with related parties shall be disclosed in the annual report

b) The company shall disclose the policy on dealing with Related Party Transactions on its website and also in the Annual Report.

4.4. Rating assigned by Credit Rating Agencies and migration of rating during the year

4.5. Remuneration of Directors

All pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-à-vis the company shall be disclosed in the Annual Report.

4.6. Management

As part of the directors' report or as an addition thereto, a Management Discussion and Analysis report should form part of the Annual Report to the shareholders. This Management Discussion & Analysis should include discussion on the following matters within the limits set by the company's competitive position:

a) Industry structure and developments.

b) Opportunities and Threats.

c) Segment–wise or product-wise performance.

d) Outlook

e) Risks and concerns.

f) Internal control systems and their adequacy.

g) Discussion on financial performance with respect to operational performance.

h) Material developments in Human Resources / Industrial Relations front, including number of people employed.

4.7. Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

Since the format of the profit and loss account of HFCs does not specifically provide for disclosure of the impact of prior period items on the current year's profit and loss, such disclosures, wherever warranted, may be made in the NTA.

4.8. Revenue Recognition

An enterprise should also disclose the circumstances in which revenue recognition has been postponed pending the resolution of significant uncertainties.

4.9. Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements (CFS)

HFCs may be guided by general clarifications issued by ICAI from time to time. A parent company, presenting the CFS, should consolidate the financial statements of all subsidiaries - domestic as well as foreign. The reasons for not consolidating a subsidiary should be disclosed in the CFS. The responsibility of determining whether a particular entity should be included or not for consolidation would be that of the Management of the parent entity. In case, its Statutory Auditors are of the opinion that an entity, which ought to have been consolidated, has been omitted, they should incorporate their comments in this regard in the "Auditors Report".

5. Additional Disclosures

5.1. Provisions and Contingencies

To facilitate easy reading of the financial statements and to make the information on all Provisions and Contingencies available at one place, HFCs are required to disclose in the NTA the following information:

[₹ in Crore]

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	Current Year	Previous Year
1. Provisions for depreciation on Investment		
2. Provision made towards Income tax		
3. Provision towards NPA		
4. Provision for Standard Assets (with details like teaser loan, CRE, CRE-RH etc.)		
5. Other Provision and Contingencies (with details)		

[₹ in Crore]

Break up of Loan & Advances and Provisions thereon	Housing		Non-Housing	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Standard Assets				
a) Total Outstanding Amount				
b) Provisions made				
Sub-Standard Assets				
a) Total Outstanding Amount				
b) Provisions made				

Doubtful Assets – Category-I				
a) Total Outstanding Amount				
b) Provisions made				
Doubtful Assets – Category-II				
a) Total Outstanding Amount				
b) Provisions made				
Doubtful Assets – Category-III				
a) Total Outstanding Amount				
b) Provisions made				
Loss Assets				
a) Total Outstanding Amount				
b) Provisions made				
TOTAL				
a) Total Outstanding Amount				
b) Provisions made				

Note:

1. The total outstanding amount mean principal + accrued interest + other charges pertaining to loans without netting off.
2. The Category of Doubtful Assets will be as under:

Period for which the assets has been considered as doubtful	Category
Up to one year	Category-I
One to three years	Category-II
More than three years	Category-III

5.2. Draw Down from Reserves

Suitable disclosures are to be made regarding any draw down of reserves in the NTA.

5.3. Concentration of Public Deposits, Advances, Exposures and NPAs

5.3.1. Concentration of Public Deposits (for Public Deposit taking/holding HFCs)

[₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Deposits of twenty largest depositors		
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the HFC		

5.3.2. Concentration of Loans & Advances

[₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Loans & Advances to twenty largest borrowers		
Percentage of Loans & Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the HFC		

5.3.3. Concentration of all Exposure (including off-balance sheet exposure)

[₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers		
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the HFC on borrowers / customers		

5.3.4. Concentration of NPAs

[₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to top ten NPA accounts		

5.3.5. Sector-wise NPAs

[₹ in Crore]

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
A.	Housing Loans:	
1.	Individuals	
2.	Builders/Project Loans	
3.	Corporates	
4.	Others (specify)	
B.	Non-Housing Loans:	
1.	Individuals	
2.	Builders/Project Loans	
3.	Corporates	
4.	Others (specify)	

5.4. Movement of NPAs

[₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year
(I) Net NPAs to Net Advances (%)		
(II) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening balance		
b) Additions during the year		
c) Reductions during the year		
d) Closing balance		
(III) Movement of Net NPAs		
a) Opening balance		
b) Additions during the year		

c) Reductions during the year		
d) Closing balance		
(IV) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
a) Opening balance		
b) Provisions made during the year		
c) Write-off/write-back of excess provisions		
d) Closing balance		

5.5. Overseas Assets

[₹ in Crore]

Particulars	Current Year	Previous Year

5.6. Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting Norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas

6. Disclosure of Complaints

6.1. Customers Complaints

Particulars	Current Year	Previous Year
a) No. of complaints pending at the beginning of the year		
b) No. of complaints received during the year		
c) No. of complaints redressed during the year		
d) No. of complaints pending at the end of the year		

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD

Chandigarh, the 16th December 2016

No. 37968/R&R/4053/R-4. –In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 79 of the Punjab Re-organization Act, 1966 (31 of 1966), the Bhakra Beas Management Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Bhakra Beas Management Board Class-III & Class-IV Employees' (Recruitment & Conditions of Service) Regulations, 1994, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bhakra Beas Management Board Class-III & Class-IV Employees' (Recruitment & Conditions of Service) Amendment Regulations, 2016.

a. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bhakra Beas Management Board Class-III & Class-IV Employees' (Recruitment & Conditions of Service) Regulations, 1994, in regulation 11, for the words "as Prescribed by the Punjab Govt. from time to time" occurring at the end, the words "In accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard" shall be substituted.

R.S. JALTA
Special Secretary, BBMB

Note: - The Bhakra Beas Management Board Class-III & Class-IV Employees' (Recruitment & Conditions of Service) Regulations, 1994 were published in the Gazette of India, Part-III, section 4 vide notification No. 17612/R&R/25/86/R-4 dated the 24th June, 1994.

Chandigarh, the 22nd December 2016

No. 382/PD-774/APD-5.– In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of section 79 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Bhakra Beas Management Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Bhakra Beas Management Board Class-I & Class-II Officers (Recruitment & Conditions of Service) Regulations, 2015, namely:–

1. (1) These regulations may be called the Bhakra Beas Management Board Class-I & Class-II Officers (Recruitment & Conditions of Service) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bhakra Beas Management Board Class-I & Class-II Officers (Recruitment & Conditions of Service) Regulations, 2015, in regulation 11, for the words, letters, brackets and figures "as prescribed by the Punjab Govt. from time to time. The provisions of the Punjab Scheduled Castes and Backward Class (Reservation) Act, 2006 shall be applicable" occurring at the end, the words "in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard" shall be substituted.

TARUN AGGARWAL
Secretary, BBMB

Note: - The Bhakra Beas Management Board Class-I & Class-II Officers (Recruitment & Conditions of Service) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India, Part-III, section 4 *vide* notification No. 176/PD-774/APD-4, dated the 10th June, 2015.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई–प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

BANSHI DHAR DUBEY
Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2017.05.20 12:09:03 +05'30'